SUPREME AUDIT INSTITUTION OF INDIA
लोकहितार्थ सत्यनिष्ठा
Dedicated to Truth in Public Interest

लेखे एक दृष्टि में
2024-25

उत्तराखण्ड शासन

उत्तराखण्ड सरकार

वर्ष 2024-25 के लिए
'लेखे एक दृष्टि में'

महालेखाकार
(लेखा एवं हकदारी),
उत्तराखण्ड

SUPREME AUDIT INSTITUTION OF INDIA
लोकहितार्थ सत्यनिष्ठा
Dedicated to Truth in Public Interest

उत्तराखण्ड सरकार

आमुख

वर्ष 2024-25 के लिए हमारे वार्षिक प्रकाशन 'लेखे एक दृष्टि में' के उन्नीसवें अंक को प्रस्तुत करते हुए मुझे खुशी हो रही है, जो सरकारी गतिविधियों का परिदृश्य प्रस्तुत करता है, जैसा कि "वित्त लेखे और विनियोग लेखे" में प्रदर्शित होता है।

वित्त लेखे समेकित निधि, आकस्मिकता निधि और लोक लेखे के अंतर्गत लेखों का सारांश विवरण है । विनियोग लेखे राज्य विधानमंडल द्वारा अनुमोदित प्रावधानों के विरुद्ध अनुदान-वार व्यय को दर्ज करते हैं और वास्तविक व्यय और आवंटित धन के बीच भिन्नता के लिए स्पष्टीकरण दर्शाते हैं।

वित्त और विनियोग लेखे नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (कर्तव्य, शक्तियाँ और सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 की आवश्यकताओं के अनुसार भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (C&AG) के निर्देशन में मेरे कार्यालय द्वारा प्रतिवर्ष विधानसभा में प्रस्तुत करने हेतु तैयार किए जाते हैं।

हम पाठक के उन सुझावों का स्वागत करते हैं जो हमारे प्रकाशन को बेहतर बनाने में सहायक हों।

देहरादून
दिनांक: 08.12.2025

(मो. परवेज़ आलम)
महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)
उत्तराखण्ड

हमारी दूरदर्शिता, लक्ष्य और बुनियादी मूल्य

दूरदर्शिता

(हम जो बनना चाहते हैं वो भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की संस्था की दूरदर्शिता चित्रित करती है।)

हम सार्वजनिक क्षेत्र की लेखापरीक्षा और लेखा में एक वैश्विक मार्गदर्शन और राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय सर्वोत्तम प्रथाओं के सर्जक बनने का प्रयास करते हैं और सार्वजनिक वित्त और शासन पर स्वतंत्र, विश्वसनीय, संतुलित और समय पर रिपोर्टिंग के लिए मान्यता प्राप्त हैं।

लक्ष्य

(हमारा मिशन हमारी वर्तमान भूमिका को व्यक्त करता है और हमारे वर्तमान कार्यों को वर्णित करता है।)

भारत के संविधान द्वारा अनिवार्य, हम उच्च गुणवत्ता की लेखापरीक्षा और लेखांकन के माध्यम से जवाबदेही, पारदर्शिता और सुशासन को बढ़ावा देते हैं और अपने हितधारकों यथा विधानमंडल, कार्यपालिका और जनता को स्वतंत्र आश्वासन प्रदान करते हैं कि सार्वजनिक निधियों का उपयोग कुशलतापूर्वक और इच्छित उद्देश्यों के लिए किया जा रहा है।

बुनियादी मूल्य

(हमारे बुनियादी मूल्य हमारे सभी कृत्यों के लिए मार्गदर्शक प्रकाश स्तम्भ हैं और हमें अपने प्रदर्शन का आकलन करने के लिए मानदंड देते हैं।)

- स्वतंत्रता
- निष्पक्षता
- अखंडता
- विश्वसनीयता
- पेशेवर उत्कृष्टता
- पारदर्शिता
- सकारात्मक दृष्टिकोण

अनुक्रमणिका

		पृष्ठ सं.
अध्याय 1	**विहंगावलोकन**	
1.1	प्रस्तावना	1
1.2	सरकारी लेखों की संरचना	2
1.3	वित्त लेखे एवं विनियोग लेखे	4
1.4	निधियों के स्रोत एवं उपयोग	7
1.5	राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन (एफ.आर.बी.एम.) अधिनियम, 2005	11
अध्याय 2	**प्राप्तियाँ**	
2.1	प्रस्तावना	15
2.2	राजस्व प्राप्तियाँ	15
2.3	कर राजस्व	17
2.4	कर संग्रह की लागत	20
2.5	पिछले पांच वर्षों में केन्द्रीय करों में राज्यांश की प्रवृति	20
2.6	सहायक अनुदान	21
2.7	लोक ऋण	22
अध्याय 3	**व्यय**	
3.1	परिचय	23
3.2	राजस्व व्यय	23
3.3	पूँजीगत व्यय	28
3.4	प्रतिबद्ध व्यय	30
अध्याय 4	**विनियोग लेखे**	
4.1	वर्ष 2024-25 के लिए विनियोग लेखे का सारांश	31
4.2	पिछले पांच वर्षों के दौरान बचत/आधिक्य की प्रवृति	31
4.3	महत्त्वपूर्ण बचतें	32
अध्याय 5	**परिसंपत्तियाँ एवं देयताएँ**	
5.1	परिसंपत्तियाँ	35
5.2	ऋण एवं दायित्व	36
5.3	प्रत्याभूतियाँ	37

अध्याय 6	अन्य मदें	
6.1	प्रतिकूल शेष	38
6.2	राज्य सरकार द्वारा दिए गए ऋण और अग्रिम	39
6.3	स्थानीय निकायों एवं अन्य को वित्तीय सहायता	40
6.4	रोकड़ शेष और रोकड़ शेष का निवेश	42
6.5	लेखाओं का मिलान	42
6.6	लेखा प्रेषित करने वाली इकाईयों द्वारा लेखों का प्रस्तुतीकरण	42
6.7	असमायोजित सार आकस्मिक बिल	43
6.8	उचन्त एवं प्रेषण शेषों की स्थिति	43
6.9	बकाया उपयोगिता प्रमाण-पत्रों की स्थिति	44
6.10	अपूर्ण पूँजीगत कार्यों के कारण प्रतिबद्धतायें	45
6.11	राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली	45
6.12	व्यक्तिगत जमा खाते	45
6.13	निवेश	46
6.14	व्यय का प्रवाह	46
6.15	आरक्षित निधियों की स्थिति	47
6.16	प्रमुख उपकर	50

अध्याय – 1
विहंगावलोकन

1.1 प्रस्तावना

महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), उत्तराखण्ड विभिन्न एजेंसियों द्वारा प्रेषित किए गए लेखों के आंकड़ों को संचित, वर्गीकृत, संकलित करता है और उत्तराखण्ड सरकार के लेखों को तैयार करता है। उत्तराखंड सरकार के प्राप्तियों और व्ययों के लेखों को 20 कोषागारों द्वारा प्रस्तुत प्रारंभिक लेखों तथा भारतीय रिज़र्व बैंक की सलाहों के आधार पर संकलित किया गया है। अप्रैल 2019 में आईएफएमएस के कार्यान्वयन के बाद से, 252 लेखा प्रस्तुत करने वाली इकाइयों-108 लोक निर्माण प्रभागों (87 भवन और सड़क, 21 ग्रामीण कार्य प्रभाग), 57 वन प्रभाग (46 वन और 11 जलागम), 87 सिंचाई / जल संसाधन प्रभागों के लेखों को संबंधित कोषागारों के माध्यम से भेजा जा रहा है। हर महीने उत्तराखण्ड सरकार को महालेखाकार (ले. एवं हक़.) के कार्यालय द्वारा एक मासिक सिविल लेखा प्रस्तुत किया जाता है। कार्यालय महालेखाकार (ले. एवं हक़.) प्रतिवर्ष सरकार के महत्वपूर्ण वित्तीय सूचकांकों और व्यय की गुणवत्ता पर एक त्रैमासिक अभिमूल्यन टिप्पणी भी उत्तराखण्ड सरकार को प्रस्तुत करता है। महालेखाकार (ले० एवं हक०) वार्षिक वित्त लेखों और विनियोग लेखों को तैयार करता है, जिन्हें महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड द्वारा लेखापरीक्षण के पश्चात एवं भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा प्रमाणीकरण किये जाने के उपरांत राज्य विधानमंडल के समक्ष रखा जाता है।

1.2 सरकारी लेखों की संरचना

1.2.1 सरकारी लेखे तीन भागो में रखे जाते हैं:-

सरकारी लेखों की संरचना

भाग 1
समेकित निधि

सरकार द्वारा प्राप्त सभी राजस्व जिसमें कर राजस्व एवं करेत्तर राजस्व जुटाए गए ऋण, समेकित निधि से दिये गए ऋणों (ब्याज सहित) का पुनर्भुगतान शामिल है|
सरकार के सभी व्यय एवं संवितरण, जिसमें जारी किये गए ऋण और जुटाए गए ऋणों का पुनर्भुगतान (ब्याज सहित) शामिल है, इस निधि से आहरित है|

भाग 2
आकस्मिकता निधि

आकस्मिकता निधि एक अग्रदाय की प्रवृति में है, जिसका उद्देश्य अप्रत्याशित व्यय जिसके लिए बजट में प्रावधान नहीं था और जिसका प्राधिकरण विधानमंडल द्वारा लंबित है, को पूरा करना है| ऐसे व्यय की प्रतिपूर्ति बाद में समेकित निधि से कर दी जाती है| उत्तराखण्ड सरकार के लिए इस निधि का कार्पस ₹500.00 करोड़ है|

भाग 3
लोक लेखे

लोक लेखे में ऋणों (भाग- I में शामिल ऋणों के अलावा), 'जमा', 'अग्रिम' [जिसके संबंध में सरकार का धन वापिस देने का दायित्व है या भुगतान की गई राशि को वसूलने का दावा करती है, ऋण और जमा का पुनर्भुगतान और अग्रिम की वसूली सहित] 'प्रेषण' और 'उचन्त' (उन सभी समायोजन शीर्षों को समाहित करते हुए जिनके तहत कोषागार और मुद्रा चेस्ट के बीच नकद का प्रेषण और विभिन्न लेखांकन परिक्षेत्रों के बीच हस्तांतरण जैसे लेनदेन होते हैं) से सम्बंधित लेनदेन दर्ज किए जाएंगे। इन शीर्षों में प्रारम्भिक नामे व जमा का निपटान, बाद में उसी या किसी दूसरे लेखांकन परिक्षेत्र में अनुरूप प्राप्ति या अदायगी के द्वारा अथवा लेखा के अंतिम शीर्षों में पुस्तांकित करके किया जाता है|

1.2.2 लेखों का संकलन

लेखों के संकलन के लिए प्रवाह आरेख

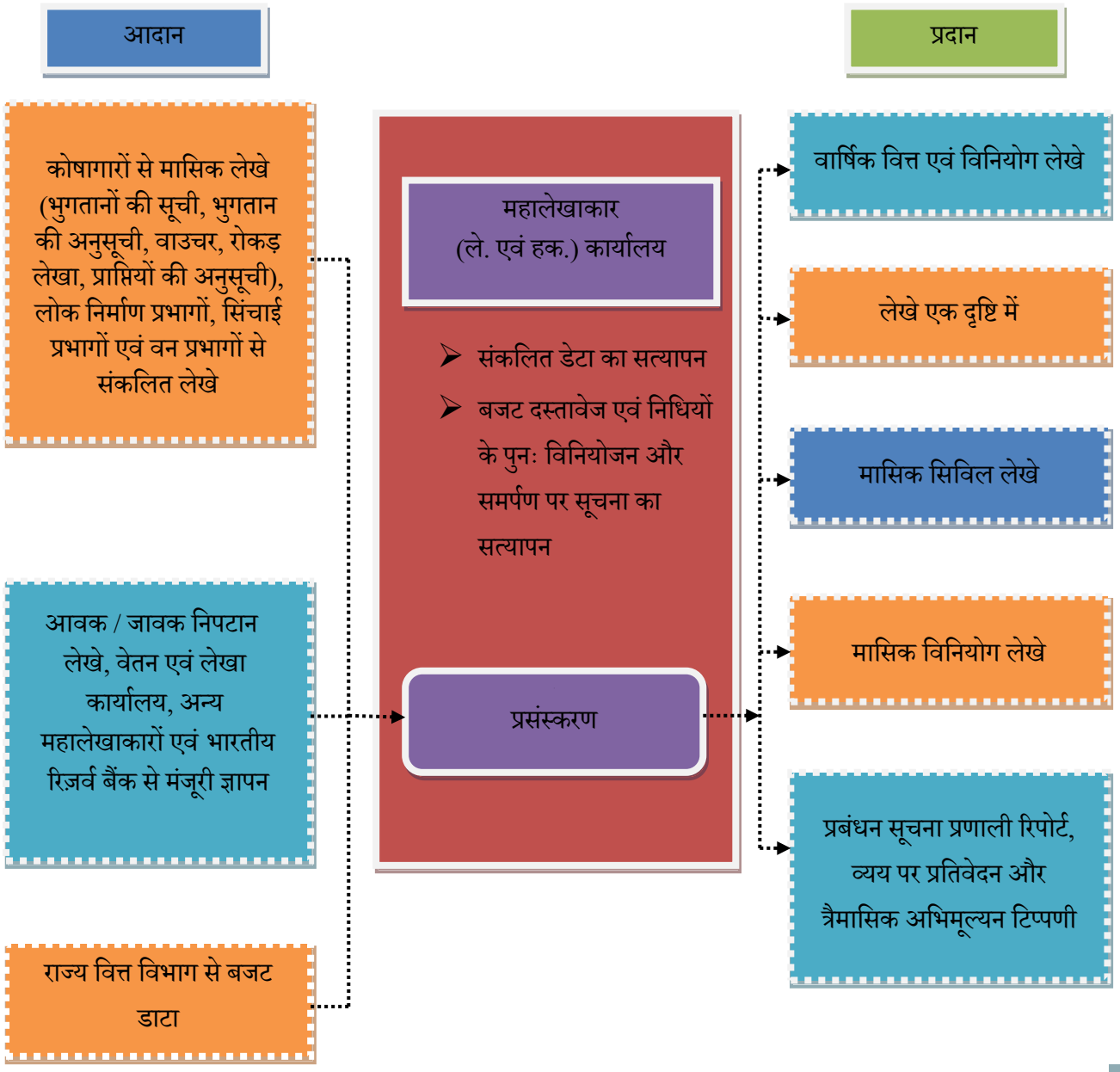

1.3 वित्त लेखे एवं विनियोग लेखे

1.3.1 वित्त लेखे

वित्त लेखे शासन के राजस्व और पूँजीगत लेखाओं, लोक ऋणों और लेखाओं में अभिलिखित लोक लेखे के शेषों से प्राप्त वित्तीय परिणामों के साथ-साथ वर्ष के लिए सरकार की प्राप्तियों और संवितरणों को दर्शाते हैं। वित्त लेखे को अधिक व्यापक और सूचना देयक बनाने हेतु इन्हें दो खंडों में तैयार किया जाता है। वित्त लेखों के (खण्ड-I) में भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का प्रमाण पत्र, समग्र प्राप्तियों और संवितरणों के तेरह (13) सारांशित विवरण और 'वित्त लेखों पर टिप्पणी' जिसमें महत्वपूर्ण लेखा नीतियों का सारांश, लेखों की गुणवत्ता और अन्य वस्तुओं पर टिप्पणी शामिल होते हैं | खण्ड-II के भाग-I में नौ (9) विस्तृत विवरण एवं भाग-II में तेरह (13) परिशिष्ट सम्मिलित हैं |

केन्द्र सरकार विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के लिए राज्य कार्यान्वयन एजेंसियों/गैर-सरकारी संगठनों को पर्याप्त धनराशि सीधे हस्तांतरित करती है। वर्ष 2024-25 के दौरान, भारत सरकार ने ₹ 3,511.84 करोड़ की राशि विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रमों के लिए उत्तराखण्ड में सीधे राज्य कार्यान्वयन एजेंसियों / गैर सरकारी संगठनों को हस्तांतरित की | चूँकि ये निधियाँ राज्य बजट के माध्यम से प्रेषित नहीं की जाती है, इसलिए ये राज्य सरकार के लेखों में प्रदर्शित नहीं होती हैं। ये हस्तांतरण वित्त लेखे के खंड II के परिशिष्ट VI में दिए गए हैं।

1.3.2 वर्ष 2024-25 की वित्तीय झलकियाँ

निम्न तालिका वर्ष 2024-25 के लिए वास्तविक वित्तीय परिणाम और बजट अनुमानों का विवरण प्रदान करती है:

क्रम संख्या	घटक	बजट अनुमान *(₹ करोड़ में)*	वास्तविक आँकड़े *(₹ करोड़ में)*	बजट अनुमानों से वास्तविक आँकड़ों का *प्रतिशत*	जीएसडीपी[1] से वास्तविक आँकड़ों का *प्रतिशत*
1.	कर राजस्व (केन्द्रांश सहित)	36,146.47	35,266.09[2]	97.56	9.32
2.	करेत्तर राजस्व	4,873.38	4,181.52	85.80	1.11
3.	सहायक अनुदान एवं अंशदान	19,533.06	12,025.73	61.57	3.18
4.	**राजस्व प्राप्तियाँ (1+2+3)**	**60,552.90**	**51,473.34**	85.01	13.61
5.	ऋण एवं अग्रिमों की वसूली	24.21	36.69	151.55	0.01
6.	अन्य पूंजीगत प्राप्तियाँ	100.00	0.00	0.00	0.00
7.	उधार एवं अन्य दायित्व	14,426.38	10,302.05[3]	36.90	2.72
8.	**पूँजीगत प्राप्तियाँ (5+6+7)**	**14,550.59**	**10,338.74**	36.87	2.73
9.	**कुल प्राप्तियाँ (4+8)**	**75,103.49**	**61,812.08**	69.77	16.34
10.	राजस्व व्यय	59,572.66	50,015.58	83.96	13.22
11.	ब्याज भुगतान पर व्यय (राजस्व व्यय से)	6,636.44	5,575.00	84.01	1.47
12.	पूँजीगत व्यय	14,854.15	11,105.50	74.76	2.94
13.	वितरित ऋण एवं अग्रिम	676.68	691.00	102.12	0.18
14.	**कुल व्यय (10+12+13)**	**75,103.49**	**61,812.08**	82.30	16.34
15.	**राजस्व घाटा (-) / आधिक्य (+) (4-10)**	**(+)980.24**	**(+) 1,457.76**	148.71	0.39
16.	**राजकोषीय घाटा(-) / आधिक्य(+) (4+5+6-14)**	**(-)14,426.38**	**(-)10,302.05**	**71.41**	2.72

[1] *वर्ष 2024-25 के लिए सकल राज्य घरेलू उत्पाद ₹ 3,78,244.52 करोड़ का आँकड़ा (वर्तमान मूल्यों पर) अर्थशास्त्र और सांख्यिकी निदेशालय की वेबसाइट से लिया गया है।*

[2] *₹ 14,387.36 करोड़ में राज्य को समनुदेशित शुद्ध आय (कर) का भाग सम्मिलित है। [राज्य सरकार की स्वकर प्राप्तियाँ ₹ 20,878.73 करोड़ थी जो सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 5.52 प्रतिशत था।]*

[3] *उधार एवं अन्य दायित्व : शुद्ध (प्राप्तियाँ- संवितरण) लोक ऋण (₹ 10,714.37 करोड़) +आकस्मिकता निधि शुद्ध (₹ (-)1.32 करोड़)+ शुद्ध [प्राप्तियाँ– संवितरण] लोक लेखा (₹ (-)309.85 करोड़)+ प्रारंभिक एवं अंतिम रोकड़ शेष शुद्ध (₹ 101.15 करोड़)।*

वर्ष 2024-25 में प्राप्तियाँ एवं संवितरण

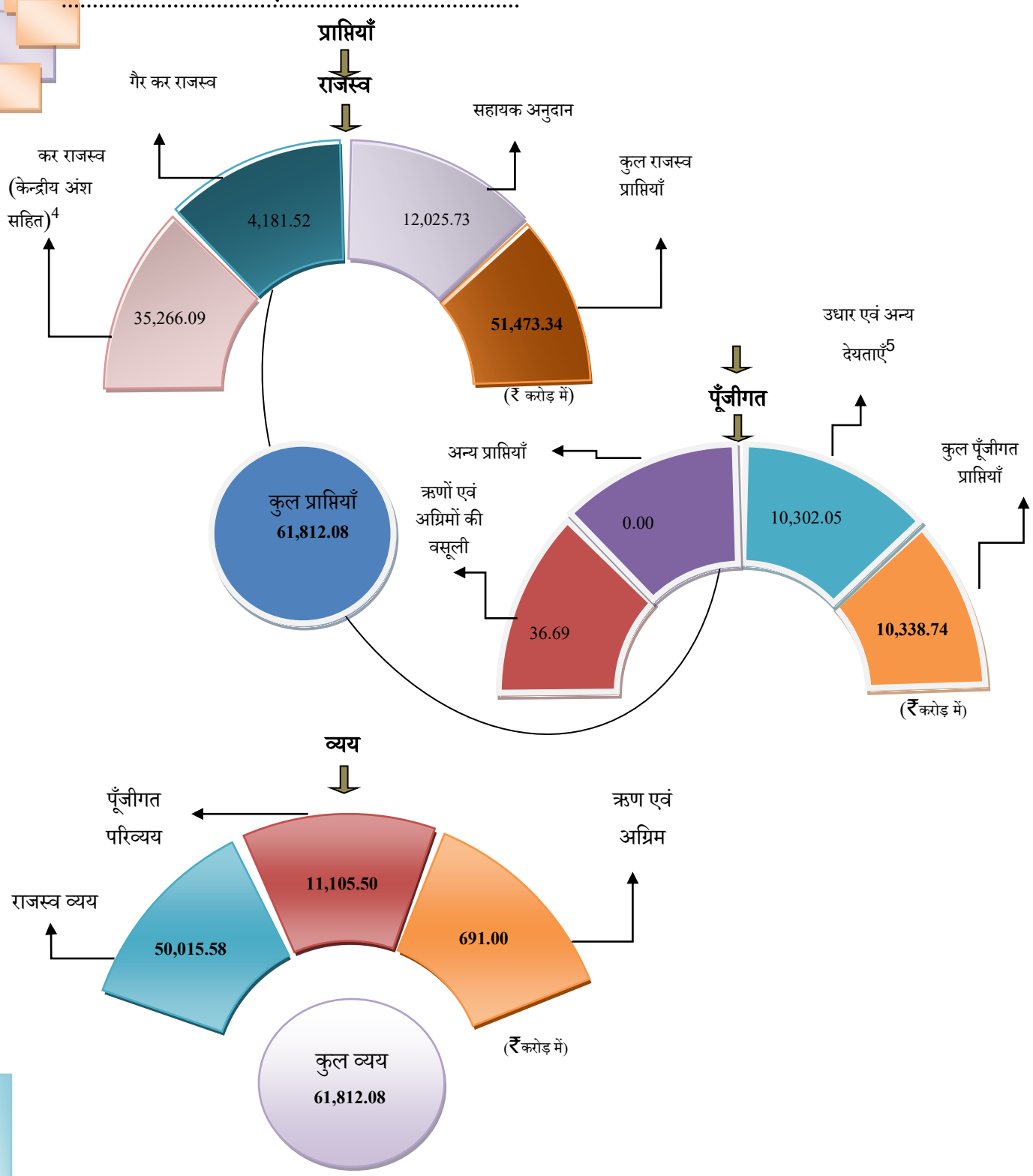

[4]₹ 14,387.36 करोड़ में राज्य को समनुदेशित शुद्ध आय (कर) का भाग सम्मिलित है/ [राज्य सरकार की स्वकर प्राप्तियाँ ₹ 20,878.73 करोड़ थी जो सकल राज्य घरेलू उत्पाद (3,78,244.52) का 5.52 प्रतिशत था/]

[5] उधार एवं अन्य दायित्व : शुद्ध(प्राप्तियाँ- संवितरण) लोक ऋण+आकस्मिकता निधि शुद्ध + शुद्ध [प्राप्तियाँ– संवितरण] लोक लेखा + प्रारंभिक एवं अंतिम रोकड़ शेष शुद्ध /

1.3.3 विनियोग लेखे

संविधान के अंतर्गत यह प्रावधान है कि कोई भी व्यय विधायिका के प्राधिकार के बिना सरकार द्वारा नहीं किया जा सकता है। संविधान में वर्णित कुछ ऐसे व्ययों को छोड़कर, जिन्हें समेकित-निधि को प्रभारित किया जाता है तथा विधायिका के वोट के बिना व्यय किया जा सकता है, अन्य सभी व्यय दत्तमत होना आवश्यक है। विनियोग लेखे वित्त लेखे के पूरक हैं। उत्तराखण्ड के बजट में 01 प्रभारित विनियोग, 08 प्रभारित विनियोग / दत्तमत अनुदान और 22 दत्तमत अनुदान है। विनियोग लेखे का उद्देश्य यह दर्शाना है कि विनियोग के साथ संकलित किए गए वास्तविक व्यय को किस सीमा तक प्रति वर्ष के विनियोग अधिनियम के माध्यम से विधायिका द्वारा प्राधिकृत किया गया है |

1.3.4 बजट तैयार करने की दक्षता

विनियोग अधिनियम, 2024-25 में ₹ 94,243.12 करोड़ रुपये के सकल व्यय का प्रावधान था और व्यय में कमी (वसूलियां) ₹ 3,315.92 करोड़ थी। इसके सापेक्ष, वास्तविक सकल व्यय ₹ 94,156.23 करोड़ था और व्यय में कमी ₹ 3,350.01 करोड़ थी, जिसके परिणामस्वरूप ₹ 86.89 करोड़ (0.09 *प्रतिशत*) की बचत हुई और "व्यय में कमी" का कम अनुमान ₹ 34.09 करोड़ (1.03 *प्रतिशत*) था। 'राजस्व एवं सामान्य प्रशासन', 'वित्त, कर, नियोजन, सचिवालय अन्य सेवायें' तथा 'वन' से संबंधित तीन अनुदानों में व्याधिक्य देखा गया।

1.4 निधियों के स्रोत एवं उपयोग

1.4.1 अर्थोपाय अग्रिम

भारतीय रिज़र्व बैंक से न्यूनतम सहमति नकदी शेष (₹ 0.16 करोड़), जिसे भारतीय रिज़र्व बैंक के साथ बनाए रखना आवश्यक है, में कमी को पूरा कर तरलता बनाए रखने के लिए अर्थोपाय अग्रिम लिए जाते हैं। वर्ष 2024-25 के दौरान, उत्तराखण्ड सरकार ने ₹ 25,904.74 करोड़ के अर्थोपाय अग्रिम प्राप्त किए और ₹ 25,072.96 करोड़ चुकाए, जिससे शुद्ध शेष ₹ 1,438.84 करोड़ रह गया | अर्थोपाय अग्रिम 108 अवसरों (10 साधारण और 98 विशेष) पर लिए गये | वर्ष के दौरान ₹ 31.44 करोड़ की धनराशि अर्थोपाय अग्रिम पर ब्याज के रूप में दी गयी |

1.4.2 भारतीय रिज़र्व बैंक से अधिविकर्ष / ओवर ड्राफ्ट

भारतीय रिज़र्व बैंक के साथ बनाए रखे जाने वाले अपेक्षित न्यूनतम रोकड़ शेष (₹ 0.16 करोड़) में कमी को पूरा करने के लिए राज्य सरकार द्वारा अर्थोपाय अग्रिम लेने के बावजूद यदि कमी रहती है तो भारतीय रिज़र्व बैंक से अधिविकर्ष / ओवर ड्राफ्ट लिया जाता है | वर्ष 2024-25 के दौरान, राज्य सरकार द्वारा 11 अवसरों पर अधिविकर्ष लिया गया।

1.4.3 निधि प्रवाह विवरण

वर्ष 2024-25 में राज्य का राजस्व आधिक्य ₹ 1,457.76 करोड़ और राजकोषीय घाटा ₹ 10,302.05 करोड़ था जो कि राज्य सकल घरेलू उत्पाद (*₹ 3,78,244.52)* का क्रमशः 0.39 और 2.72 *प्रतिशत* था | शुद्ध लोक ऋण (₹ 10,714.37 करोड़), शुद्ध लोक लेखे (₹ (-)309.85 करोड़), शुद्ध आकस्मिकता निधि (₹ (-)1.32 करोड़) और अंतिम रोकड़ शेष में शुद्ध कमी (₹ 101.15 करोड़) से राजकोषीय घाटा पूरा किया गया | राज्य सरकार के राजस्व प्राप्तियों (₹ 51,473.34 करोड़) का लगभग 58.22 *प्रतिशत* वचनबद्ध व्यय जैसे वेतन (₹ 15,232.97 करोड़), ब्याज भुगतान (₹ 5,575.00 करोड़), पेंशन (₹ 8,478.75 करोड़) और सब्सिडी (₹ 680.80 करोड़), पर खर्च किया गया था।

निधि के स्त्रोत एवं उपयोग

(₹ करोड़ में)

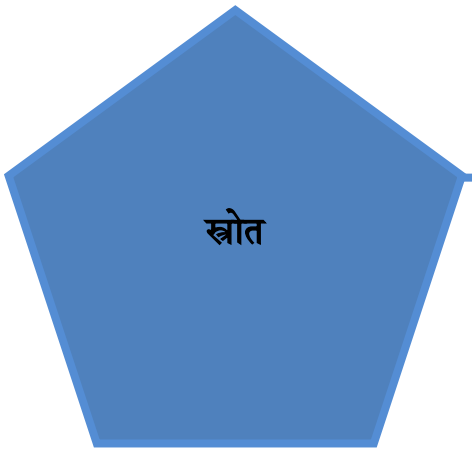

• 1 अप्रैल 2024 को प्रारंभिक रोकड़ शेष	-102.34
• राजस्व प्राप्तियाँ	51,473.34
• विविध पूँजीगत प्राप्तियाँ	0.00
• ऋण एवं अग्रिम की वसूली	36.69
• लोक ऋण	39,708.51
• अल्प बचतें, भविष्य निधियाँ इत्यादि	2,135.35
• आरक्षित एवं निक्षेप निधियाँ	2,570.07
• जमा प्राप्तियाँ	6,459.05
• सिविल अग्रिमों का पुनर्भुगतान	0.00
• उचन्त लेखा	73,844.28 [6]
• प्रेषण	1.42
• आकस्मिकता निधि	308.81
• योग	**1,76,435.18**

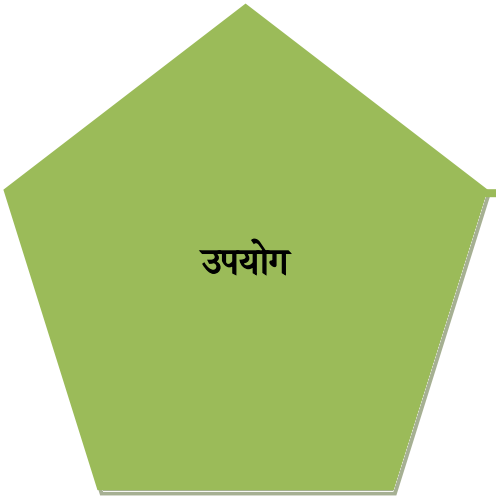

• राजस्व व्यय	50,015.58
• पूँजीगत व्यय	11,105.50
• प्रदत्त ऋण	691.00
• लोक ऋण का पुनर्भुगतान	28,994.14
• अल्प बचतें, भविष्य निधियाँ इत्यादि.	1,845.92
• आरक्षित एवं प्रेषण निधियाँ	3,353.70
• जमा पुनर्भुगतान	6,287.84
• प्रदत्त सिविल अग्रिम	0.00
• उचन्त लेखा	73,847.66[7]
• प्रेषण	-15.10
• आकस्मिकता निधि	310.13
• 31मार्च 2025 को अन्तिम रोकड़ शेष	-1.19
• योग	**1,76,435.18**

[6] रोकड़ शेष निवेश लेखा के ₹ 12,395.83 करोड़ सम्मिलित हैं|

[7] रोकड़ शेष निवेश लेखा के ₹ 12,395.83 करोड़ सम्मिलित हैं|

1.4.4 ₹ कहाँ से आया?

वास्तविक प्राप्तियाँ (₹ 62,701.58 करोड़)

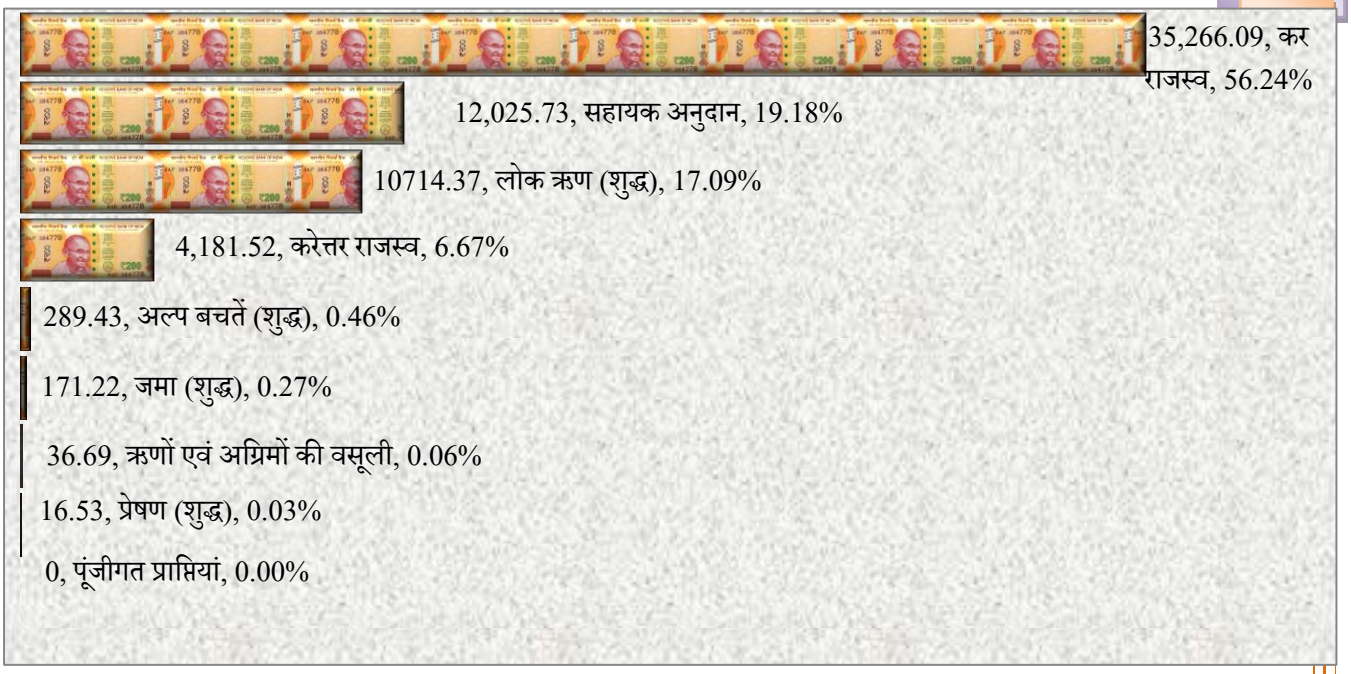

1.4.5 ₹ कहाँ गया?

वास्तविक व्यय (₹ 62,701.58 करोड़)

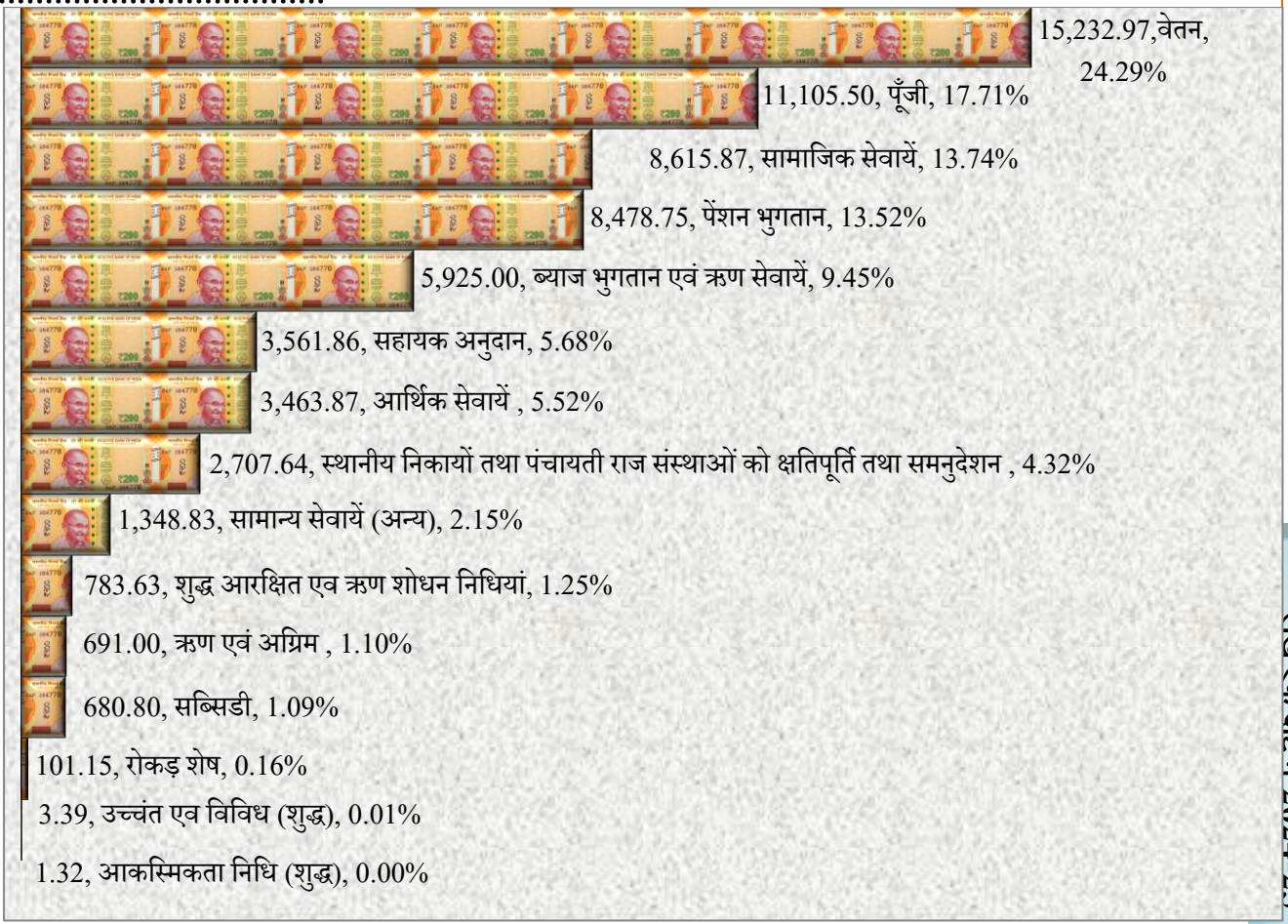

वर्ष 2024-25 के दौरान ₹ 1,457.76 करोड़ का राजस्व आधिक्य (2023-24 में ₹ 3,341.05 करोड़ राजस्व आधिक्य) और ₹ 10,302.05 करोड़ का राजकोषीय घाटा (2023-24 में ₹ 7,749.02 करोड़ राजकोषीय घाटा) सकल राज्य घरेलू उत्पाद (₹ 3,78,244.52 करोड़) का क्रमशः 0.39 *प्रतिशत* और 2.72 *प्रतिशत* है | राजकोषीय घाटा सकल व्यय (₹ 61,812.08) का 16.67 *प्रतिशत* रहा |

घाटा और आधिक्य क्या दर्शाते हैं

घाटा

राजस्व और व्यय के अन्तर को दर्शाता है | घाटे का स्वरूप, घाटा वित्त पोषण कैसे हो तथा निधियों का उपयोग वित्तीय प्रबंधन में दूरदर्शिता के महत्वपूर्ण संकेतक हैं |

राजस्व घाटा / आधिक्य

राजस्व प्राप्तियों और राजस्व व्यय के बीच के अन्तर को दर्शाता है |राजस्व व्यय की आवश्यकता सरकार की वर्तमान स्थापना के रखरखाव हेतु होती है और आदर्शत: इसे राजस्व प्राप्तियों से पूर्णतः वहन किया जाना चाहिए |

राजकोषीय घाटा / आधिक्य

सकल प्राप्तियों [उधारों को छोड़कर] और सकल व्यय के बीच के अन्तर को दर्शाता है | इसलिए यह स्पष्ट करता है कि व्यय को किस हद तक उधारी द्वारा वित्त पोषित किया गया तथा आदर्शत: उधारों को पूँजीगत परियोजनाओं में निवेशित किया जाना चाहिए|

1.5 राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन (एफ.आर.बी.एम.) अधिनियम 2005

घाटा संकेतक, राजस्व संवर्धन तथा व्यय प्रबंधन सरकार की राजकोषीय कार्यशैली को जाँचने के मुख्य मापदंड हैं ।उत्तराखण्ड सरकार ने राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन (FRBM) अधिनियम, 2005 को अधिनियमित किया है। इस अधिनियम को 2011, 2016, 2020 और 2023 में संशोधित किया गया है। इस अधिनियम के अनुसार, राज्य सरकार को निर्दिष्ट अवधि तक कुछ राजकोषीय लक्ष्य प्राप्त करने की आवश्यकता थी। वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान अधिनियमों द्वारा और इसके तहत बनाए गए नियमों में निर्धारित राजकोषीय लक्ष्यों के तहत उपलब्धियाँ निम्नानुसार थी:

क्रम संख्या.	वित्तीय मापदण्ड	वास्तविक आँकड़े (₹करोड़ में)	जीएसडीपी से अनुपात[8]	
			लक्ष्य	उपलब्धि
1	राजस्व आधिक्य	1,457.76	राज्य में राजस्व आधिक्य होना चाहिए	0.39 (प्राप्त किया)
2	राजकोषीय घाटा	10,302.05	3.0 [9]	2.72 (प्राप्त किया))
3	लोक ऋण और अन्य दायित्व	90,657.16[10]	32.8	23.97[10] (प्राप्त नहीं किया)
4	प्राथमिक घाटा	4,727.05	...	1.25

राज्य सरकार ने उत्तराखण्ड राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन नियम, 2005 के तहत आवश्यक उद्घोषणाएँ विधानमंडल में प्रस्तुत किए।

राज्य सरकार का राजस्व आधिक्य वर्ष 2023-24 में ₹ 3,341.05 करोड़ जबकि वर्ष 2024-25 के दौरान राजस्व आधिक्य ₹ 1,457.76 करोड़ का था जो एफ.आर.बी.एम अधिनियम के लक्ष्यों के अनुरूप है । ₹ 2,553.03 करोड़ की वृद्धि के साथ राजकोषीय घाटा वर्ष 2023-24 में ₹ 7,749.02 करोड़ से बढ़कर 2024-25 में ₹ 10,302.05 करोड़ हो गया जो सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 2.72 *प्रतिशत* था जो कि सकल राज्य घरेलू उत्पाद के 3.0 *प्रतिशत* के लक्ष्य की पुष्टि करता है | सार्वजनिक ऋण और अन्य देनदारियों को वर्ष 2024-25 तक जीएसडीपी के 32.8 *प्रतिशत* तक रखने के सापेक्ष सार्वजनिक ऋण और अन्य देनदारियां ₹ 90,657.16 करोड़ थी जो जीएसडीपी का 23.97 *प्रतिशत* थी।

---

[8] वर्ष 2024-25 के लिए सकल राज्य घरेलू उत्पाद ₹ 3,78,244.52 करोड़ का आँकड़ा (वर्तमान मूल्यों पर) अर्थशास्त्र और सांख्यिकी निदेशालय की वेबसाइट से लिया गया है |

[9] एफआरबीएम अधिनियम 2023 के अनुसार राजकोषीय घाटे की सीमा जीएसडीपी का 3.0 प्रतिशत तक है।

[10] जीएसटी क्षतिपूर्ति कमी के बदले भारत सरकार से प्राप्त ₹ 4,008.88 करोड़ (2020-21 के लिए ₹ 1,158.00 करोड़ + 2021-22 के लिए ₹ 2,850.88 करोड़) के बैक टू बैक ऋण को जीएसडीपी के लिए बकाया ऋण के अनुपात की गणना के लिए बाहर रखा गया है। भारत सरकार के स्पष्टीकरण पत्र सं. F. No. 40 (1) PF-S/2021-22 दिनांक 10-12-2021 के अनुसार इस उधार को वित्त आयोग द्वारा निर्धारित किसी भी मानदंड के लिए राज्य के ऋण के रूप में नहीं माना जाएगा।

1.5.1 राजस्व घाटे/ आधिक्य की प्रवृति

राजस्व घाटे/ आधिक्य की प्रवृत्ति

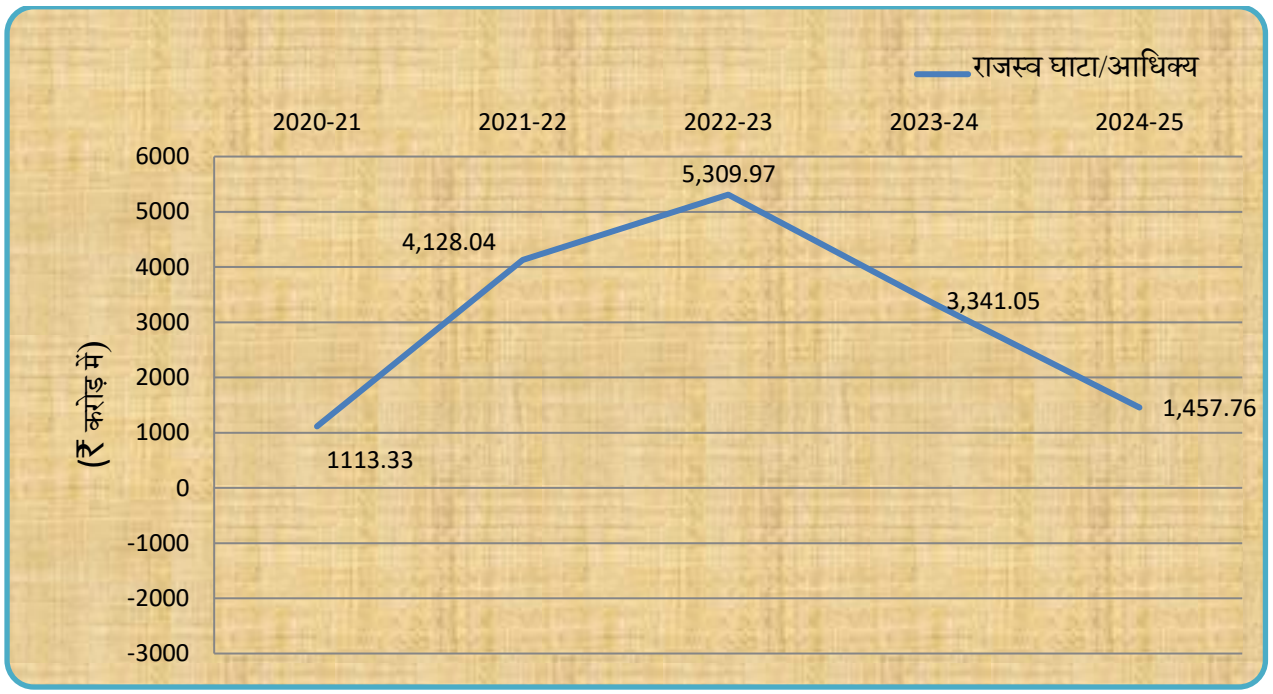

जीएसडीपी के अनुपात में राजस्व घाटे/ आधिक्य की प्रवृति

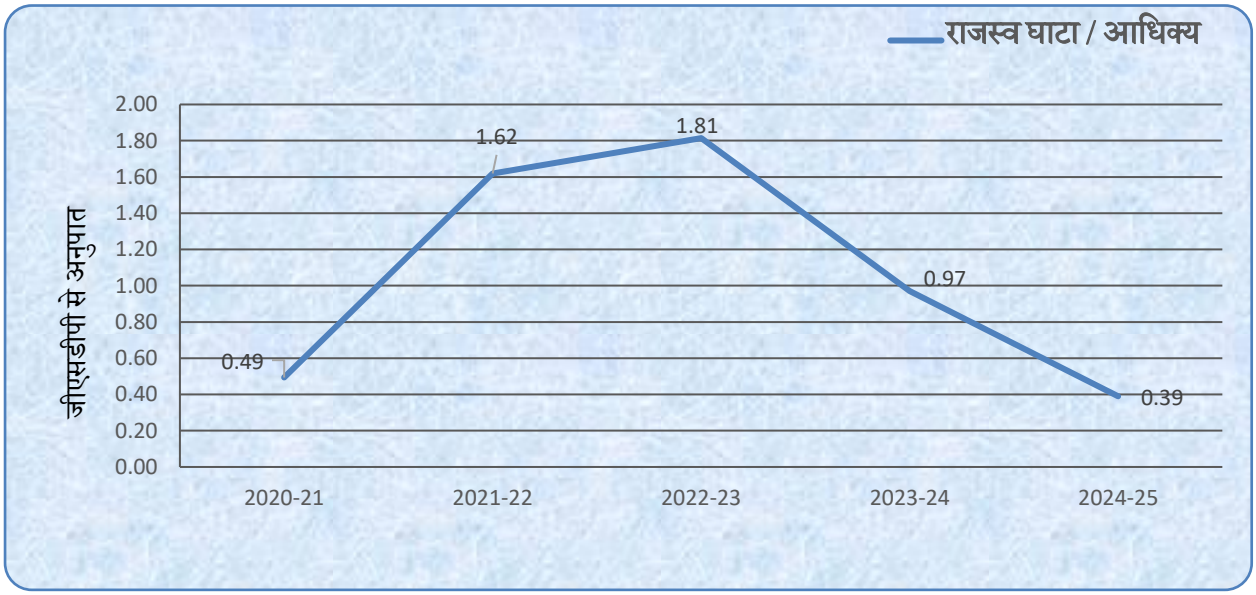

नोट: अनुपात का ऋणात्मक चिन्ह (-) राजस्व घाटे को दर्शाता है एवं धनात्मक चिन्ह (+) राजस्व आधिक्य को दर्शाता है |

1.5.2 राजकोषीय घाटे की प्रवृति

राजकोषीय घाटे की प्रवृति

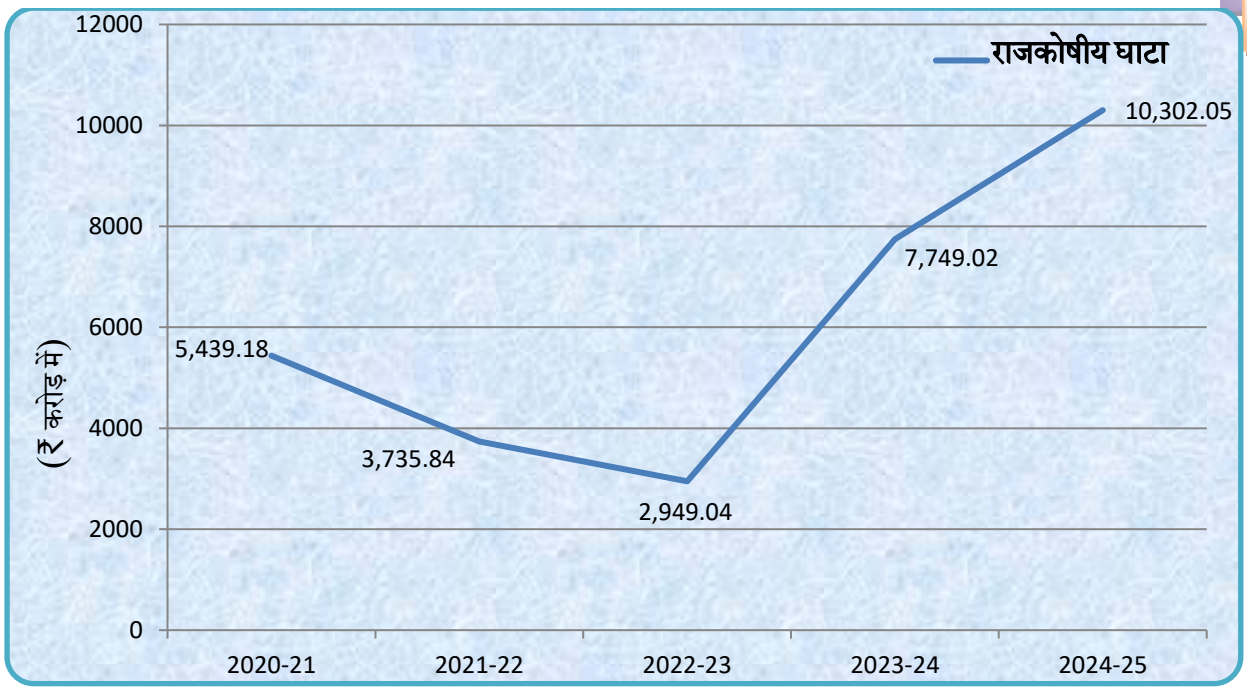

जीएसडीपी के अनुपात में राजकोषीय घाटे की प्रवृति

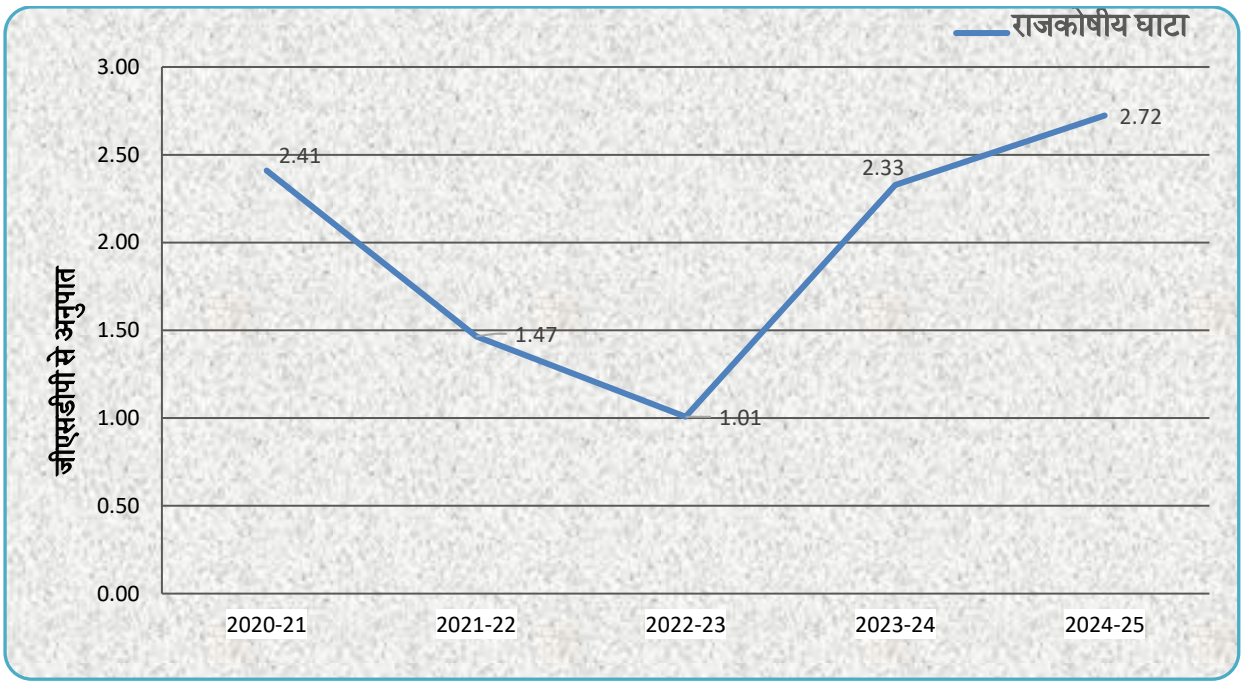

1.5.3 उधार ली गयी निधियों में से पूँजीगत व्यय पर खर्च का अनुपात

(₹ करोड़ में)

वर्ष	उधार ली गई निधियाँ[11]	पूँजीगत व्यय
2020-21	9,787	6,538
2021-22	7,473	7,534
2022-23	5,036	8,195
2023-24	9,912	10,982
2024-25	14,636	11,105

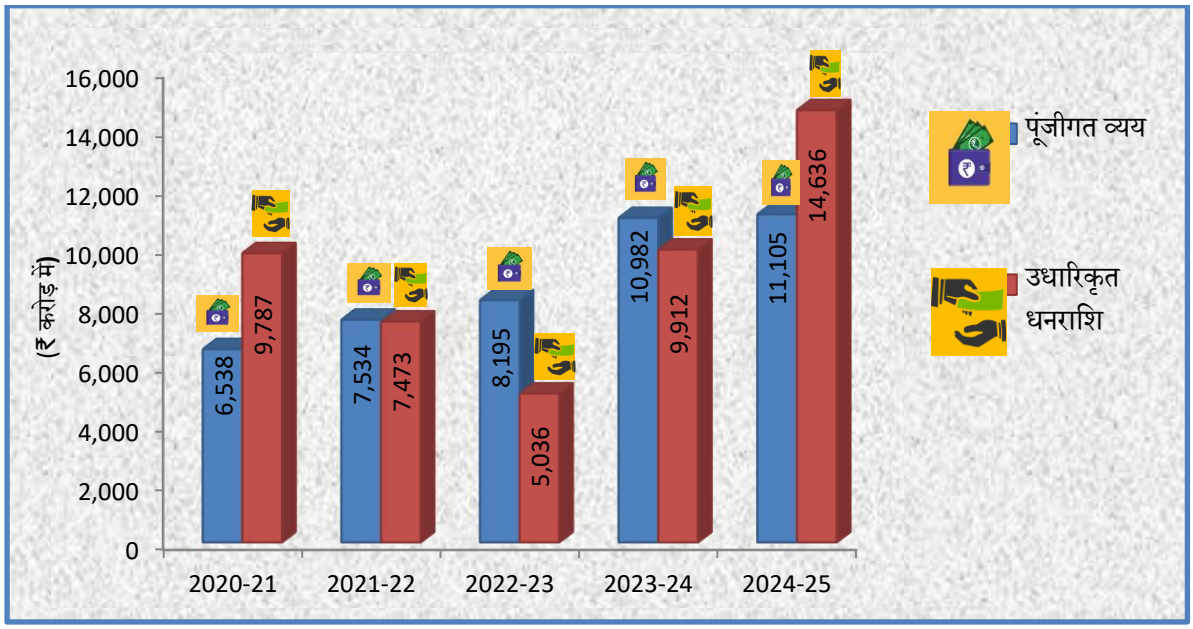

सामान्यतः सरकारें राजकोषीय घाटे पर चलती हैं और पूँजीगत परिसंपत्तियों के निर्माण / के लिए तथा आर्थिक व सामाजिक ढांचे के निर्माण के लिए ऋण लेती हैं, ताकि उधार के माध्यम से निर्मित संपत्तियां अपने लिए स्वयं आय उत्पन्न कर सके। इस प्रकार उधार ली गई निधियों का पूरा उपयोग पूँजीगत परिसंपत्तियों के निर्माण के लिए और राजस्व प्राप्तियों का उपयोग मूलधन और ब्याज की अदायगी हेतु अपेक्षित है । यदि वर्तमान वर्ष के कुल उधारों (₹ 39,709 करोड़) से वर्ष के दौरान लिए गए अर्थोपाय अग्रिम की राशि (₹ 25,905 करोड़) हटा दी जाये, तो राज्य सरकार ने वर्तमान वर्ष में उधारों (13,804 करोड) का केवल 80.45 *प्रतिशत* पूँजीगत व्यय ₹ (11,105 करोड़) पर और 5.00 *प्रतिशत* सरकार द्वारा प्रद्दत ऋणों (₹ 691 करोड़) पर खर्च किया । इसलिए, ऐसा प्रतीत होता है कि लोक ऋण में शेष 14.55 प्रतिशत उधार का उपयोग पिछले वर्षों के लोक ऋणों के हिस्से को चुकाने के लिए किया गया था।

[11] वर्ष के दौरान लोक ऋण की प्राप्तियों को प्रदर्शित करती है, जिसमे अर्थोपाय अग्रिम के शुद्ध आंकड़े शामिल हैं |

अध्याय 2
प्राप्तियाँ

2.1 प्रस्तावना

सरकार की प्राप्तियाँ राजस्व प्राप्तियों एवं पूँजीगत प्राप्तियों के रूप में वर्गीकृत की गई है | वर्ष 2024-25 के दौरान कुल प्राप्तियाँ ₹ 91,181.85 करोड़ (₹ 51,473.34 करोड़ की राजस्व प्राप्तियाँ एवं ₹ 39,745.20 करोड़ की पूँजीगत प्राप्तियाँ) थी |

2.2 राजस्व प्राप्तियाँ

सरकार की प्राप्तियों में तीन घटक शामिल हैं नामतः कर राजस्व (स्वकर राजस्व + केन्द्रीय करों/शुल्कों का राज्यांश), करेत्तर राजस्व और केंद्र सरकार से प्राप्त सहायक अनुदान |

कर राजस्व — राज्यों द्वारा वसूले गए एवं प्रतिधारित किए गए तथा संविधान के अनुछेद 280 (3) के अंतर्गत संघीय करों से राज्यांश के रूप में प्राप्त कर सम्मिलित हैं |

करेत्तर राजस्व — ब्याज प्राप्तियाँ, लाभांश, लाभ, विभागीय प्राप्तियाँ इत्यादि सम्मिलित हैं |

सहायक अनुदान — सहायक अनुदान संघ सरकार द्वारा राज्य सरकार को प्रदान की गई केन्द्रीय सहायता को प्रदर्शित करती है | इसमें विदेशी सरकारों से प्राप्त "बाह्य अनुदान सहायता" और 'सहायता, सामग्री एवं उपकरण' जो संघ सरकार के माध्यम से राज्य सरकार को प्राप्त होते हैं, भी सम्मिलित हैं | राज्य सरकार भी पंचायती राज संस्थाएं, स्वायत्त संस्थाएँ इत्यादि को सहायता अनुदान प्रदान करती है |

राजस्व प्राप्तियाँ

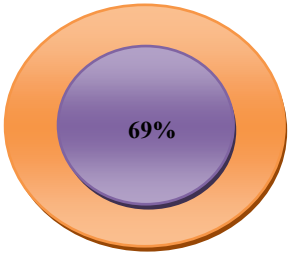

कर राजस्व

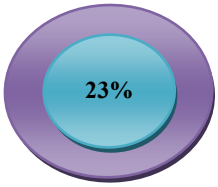

सहायक अनुदान

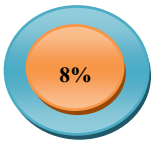

करेत्तर राजस्व

2.2.1 राजस्व प्राप्तियों के घटक (2024-25)

घटक	वास्तविक *(₹ करोड़ में)*	राजस्व प्राप्तियों से *प्रतिशत*
क. कर राजस्व[1]	**35,266.09**	**68.52**
वस्तु एवं सेवा कर	13,466.12	23.96
आय और व्यय पर कर	9,288.96	18.05
संपत्ति और पूँजीगत एवं अन्य संव्यवहारों पर कर	2,620.66	5.09
वस्तु एवं सेवा कर के इतर सामग्रियों एवं सेवाओं पर कर	9,890.34	19.21
ख. करेत्तर राजस्व	**4,181.52**	**8.12**
राजकोषीय सेवाएँ	0.00	0.00
ब्याज प्राप्तियाँ, लाभांश और लाभ	186.82	0.36
सामान्य सेवाएँ	1,432.99	2.78
सामाजिक सेवाएँ	598.08	1.16
आर्थिक सेवाएँ	1,963.64	3.82
ग. सहायक अनुदान और अंशदान	**12,025.73**	**23.36**
योग – राजस्व प्राप्तियाँ	**51,473.34**	**100**

2.2.2 राजस्व प्राप्तियों की प्रवृति

(₹ करोड़ में)

	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25
कर राजस्व (राज्य द्वारा उघाया गया)	11,937(5)	14,176 (5)	17,102(6)	19,245(6)	**20,879 (6)**
केन्द्रीय करों/शुल्कों का राज्यांश	6,569(3)	9,906 (4)	10,617(3)	12,628(4)	**14,387 (4)**
करेत्तर राजस्व	4,171(2)	2,756 (1)	4,367(1)	4,418(1)	**4,182 (1)**
सहायक अनुदान	15,527(6)	16,219 (6)	16,997(6)	14,324(4)	**12,026 (3)**
योग राजस्व प्राप्तियाँ	38,204(16)	43,057 (16)	49,083(16)	50,615(15)	**51,473 (14)**
जीएसडीपी	**2,25,617**	**2,54,966**	**2,92,670**	**3,32,998**	**3,78,245[2]**

नोट: कोष्ठक में दिए गए आँकड़े सकल राज्य घरेलू उत्पाद से प्रतिशतता दर्शाते हैं / वर्ष 2024-25 के लिए सकल राज्य घरेलू उत्पाद ₹ 3,78,244.52 करोड़ का आँकड़ा (वर्तमान मूल्यों पर) सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय की वेबसाइट से लिया गया है /

हालाँकि 2024-25 में जीएसडीपी में पिछले वर्ष की तुलना में 9.25 *प्रतिशत* की वृद्धि हुई जबकि राजस्व प्राप्तियों में 1.70 *प्रतिशत* की वृद्धि हुई | पिछले वर्ष की तुलना में कर राजस्व (राज्यों को समनुदेशित शुद्ध आय का भाग सहित) में 10.65 *प्रतिशत* की वृद्धि, गैर-कर राजस्व में 5.34 *प्रतिशत* की कमी और सहायक अनुदान में 16.04 *प्रतिशत* की कमी हुई |

[1] *इसमें राज्य को समनुदेशित शुद्ध आय का 14,387.36 करोड़ रुपये (भारत सरकार से प्राप्त) और कर राजस्व का 20,878.73 करोड़ रुपये (राज्य द्वारा जुटाया गया) शामिल है।*

[2] *सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय की वेबसाइट से अनुमान*

राजस्व प्राप्तियों के घटकों की प्रवृति

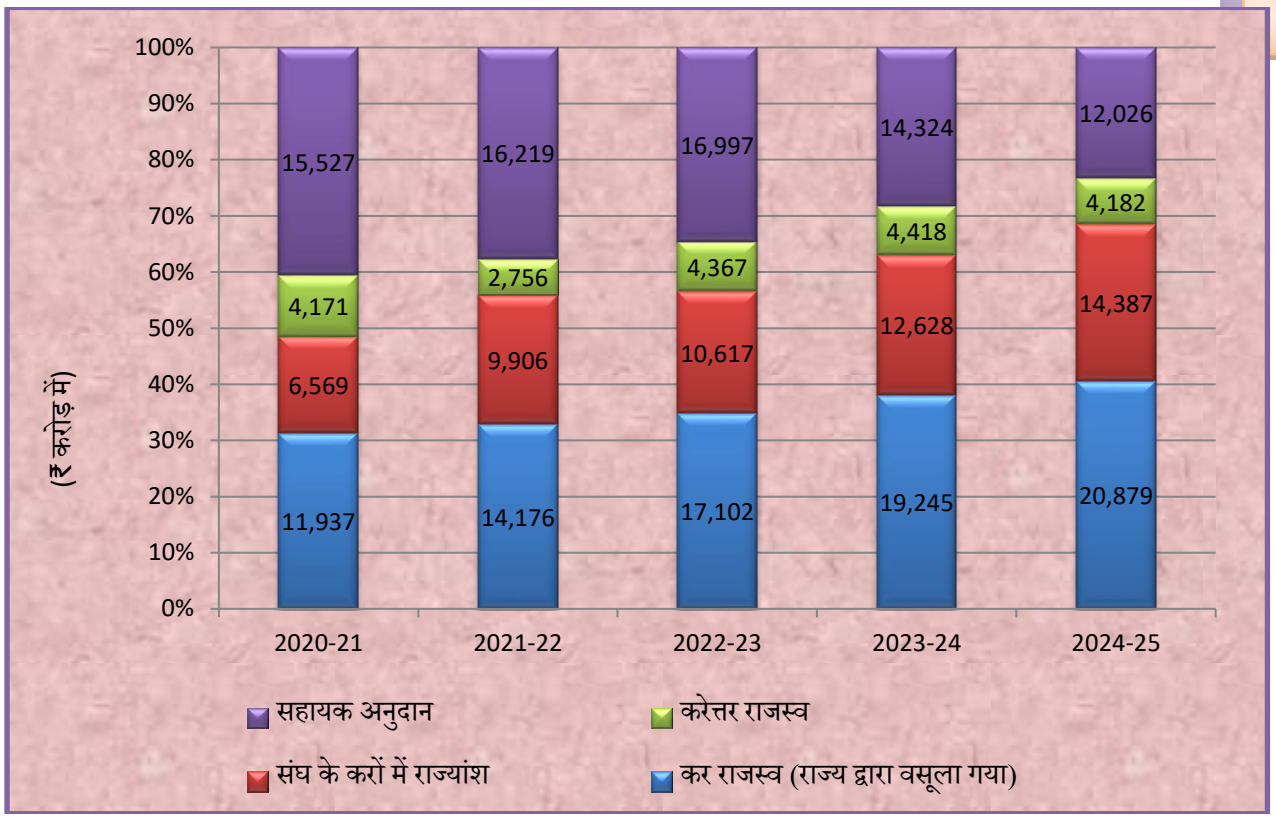

2.3 कर राजस्व

(₹ करोड़ में)

	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25
(अ) वस्तु एवं सेवा कर	7,007(3.11)	8,803 (3.45)	10,341 (3.53)	12,129(3.64)	**13,466 (3.56)**
(ब) आय और व्यय पर अन्य कर	4,012(1.78)	5,924 (2.32)	7,035 (2.40)	8,167(2.45)	**9,289 (2.46)**
(स) संपत्ति और पूँजीगत एवं अन्य संव्यवहारों पर कर	1,124(0.50)	1,529 (0.60)	2,052 (0.70)	2,446(0.73)	**2,621 (0.69)**
(द) वस्तु एवं सेवा कर के इतर सामग्रियों एवं सेवाओं पर कर	6,363(2.82)	7,826 (3.07)	8,292 (2.83)	9,130(2.74)	**9,890 (2.61)**
कुल कर राजस्व	**18,506(8.20)**	**24,082(9.45)**	**27,720 (9.47)**	**31,873(9.57)**	**35,266 (9.32)**
सकल राज्य घरेलू उत्पाद	**2,25,617**	**2,54,966**	**2,92,670**	**3,32,998**	**3,78,245**

नोट: कोष्ठक में दिए गए आँकड़े सकल राज्य घरेलू उत्पाद से प्रतिशतता दर्शाते हैं।

2024-25 के दौरान कुल कर राजस्व में वृद्धि मुख्य रूप से वस्तु एवं सेवा कर (₹ 1,337 करोड़), आय एवं व्यय पर कर (₹ 1,122 करोड़) और वस्तु एवं सेवा कर के इतर सामग्रियों एवं सेवाओं पर कर (₹ 760 करोड़) के तहत अधिक संग्रह के कारण थी।

जीएसडीपी के अनुपात में प्रमुख करों की प्रवृत्ति

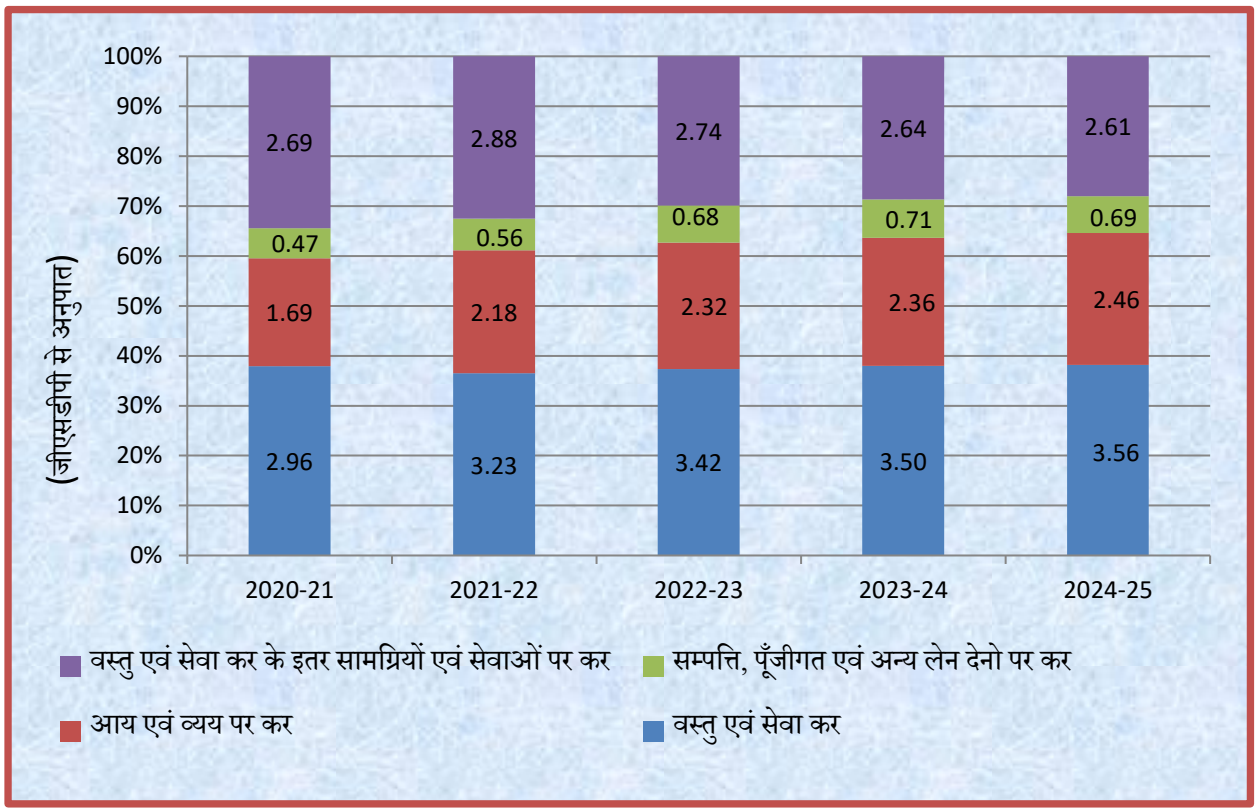

2.3.1 राज्य का स्वकर एवं केन्द्रीय करों में राज्यांश

राज्य सरकार का कर राजस्व दो स्रोतों नामतः राज्य का अपना कर संग्रह और संघ करों का विचलन से बनता है |

वर्ष	कर राजस्व *(₹ करोड़ में)*	संघ के कर और शुल्कों में राज्यांश *(₹ करोड़ में)*	राज्य का स्वयं का कर राजस्व	
			कर राजस्व *(₹ करोड़ में)*	जीएसडीपी से *प्रतिशत*
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2020-21	18,506	6,569	11,937	5.29
2021-22	24,082	9,906	14,176	5.56
2022-23	27,720	10,617	17,102	5.84
2023-24	31,873	12.628	19,245	5.78
2024-25	35,266	14,387	20,879	5.52

निम्न तालिका में पांच वर्षों की अवधि में दोनों स्रोतों से प्राप्त कर राजस्व की तुलनात्मक स्थिति को दर्शाया गया है:

(₹ करोड़ में)

विवरण	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25
राज्य का स्वकर संग्रह	11,937	14,176	17,102	19,245	20,879
संघ करों का विचलन	6,569	9,906	10,617	12,628	14,387
कुल कर राजस्व	18,506	24,082	27,720	31,873	35,266
कुल कर राजस्व में राज्य के स्वकर का *प्रतिशत*	64.50	58.87	61.70	60.38	59.20

समग्र कर राजस्व में राज्य के स्वकर संग्रह का अनुपात 2020-21 में 65 *प्रतिशत* से घटकर 2021-22 में 59 *प्रतिशत*, 2022-23 में बढ़कर 62 *प्रतिशत* और 2023-24 में घटकर 60 *प्रतिशत* और 2024-25 में घटकर 59 *प्रतिशत* हो गया |

2.3.2 पिछले पांच वर्षों में राज्य के अपने कर संग्रह की प्रवृति

(₹ करोड़ में)

विवरण	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25
1. राज्य वस्तु एवं सेवा कर	5,053	5,973	7,341	8,297	9,264
2. बिक्री, व्यापार आदि पर कर	1,858	2,302	2,555	2,519	2,607
3. राज्य उत्पाद शुल्क	2,966	3,258	3,526	4,041	4,362
4. वाहन पर कर	741	889	1,211	1,390	1,474
5. स्टाम्प और पंजीकरण शुल्क	1,107	1,488	1,987	2,432	2,602
6. बिजली पर कर और शुल्क	189	224	294	334	365
7. भू राजस्व	17	40	65	14	19
8. अन्य कर	06	02	123	218	186
राज्य का कुल स्वकर	11,937	14,176	17,102	19,245	20,879

2.4 कर संग्रह की लागत

(₹ करोड़ में)

	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25
1. स्टाम्प और पंजीकरण शुल्क					
राजस्व संग्रह	1,107	1,488	1,987	2,432	2,602
संग्रह पर व्यय	17	15	32	31	45
कर संग्रह की लागत	1.54%	1.01%	1.61%	1.27%	1.73%
2. राज्य उत्पाद शुल्क					
राजस्व संग्रह	2,966	3,258	3,526	4,041	4,362
संग्रह पर व्यय	28	30	32	34	39
कर संग्रह की लागत	0.94%	0.92%	0.91%	0.84%	0.89%
3. बिक्री, व्यापार आदि पर कर					
राजस्व संग्रह	1,858	2,302	2,555	2,519	2,607
संग्रह पर व्यय	35	38	20	15	4
कर संग्रह की लागत	1.88%	1.65%	0.78%	0.60%	0.15%
4. वाहनों पर कर					
राजस्व संग्रह	741	889	1,212	1,390	1,474
संग्रह पर व्यय	0.20	0.48	0.90	1.09	0.90
कर संग्रह की लागत	0.03%	0.05%	0.07%	0.08%	0.06%
5. राज्य वस्तु एवं सेवा कर					
राजस्व संग्रह	5,054	5,973	7,341	8,297	9,264
संग्रह पर व्यय	90	97	120	125	127
कर संग्रह की लागत	1.78%	1.62%	1.63%	1.51%	1.37%

2.5 पिछले पांच वर्षों में केंद्रीय करों में राज्यांश की प्रवृति

(₹ करोड़ में)

विवरण	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25
केन्द्रीय वस्तु एवं सेवा कर	1,953	2,830	3,000	3,832	4,202
समेकित वस्तु एवं सेवा कर	…	…	…	…	…
निगम कर	1,981	2,986	3,560	3,790	4,083
आय पर निगम कर से भिन्न कर	2,031	2,938	3,475	4,377	5,206
आय और व्यय पर अन्य कर	…	…	…	…	…
सम्पति कर	…	01	…	…	…
सीमा शुल्क	350	676	417	443	732
संघ उत्पाद शुल्क	221	338	131	168	141
सेवा कर	28	128	17	2	…
वस्तुओं एवं सेवाओं पर अन्य कर तथा शुल्क	5	09	17	16	23
संघ के करों/शुल्कों में राज्यांश	**6,569**	**9,906**	**10,617**	**12,628**	**14,387**
कुल कर राजस्व	**18,506**	**24,082**	**27,720**	**31,873**	**35,266**
कुल कर राजस्व से केंद्रीय करों में राज्यांश का *प्रतिशत*	35.50	41.13	38.30	39.62	40.80

उत्तराखंड सरकार को 2020-21 से 2024-25 की अवधि के दौरान सभी साझा करने योग्य केंद्रीय करों की शुद्ध आय से 35.50 *प्रतिशत* से 41.13 *प्रतिशत* के बीच कर राजस्व का हिस्सा प्राप्त हुआ।

2.6 सहायक अनुदान

सहायक अनुदान, राज्य योजनाओं, केन्द्रीय योजनाओं एवं केन्द्र प्रायोजित योजनाओं हेतु (नीति आयोग द्वारा अनुशंसित) एवं वित्त आयोग द्वारा अनुशंसित अनुदान के रूप में भारत सरकार द्वारा दी जाने वाली सहायता को प्रदर्शित करता है | 2024-25 के दौरान सहायक अनुदान के तहत कुल प्राप्तियाँ ₹ 12,026 करोड़ थीं जैसा कि नीचे दिखाया गया है:

सहायक अनुदान

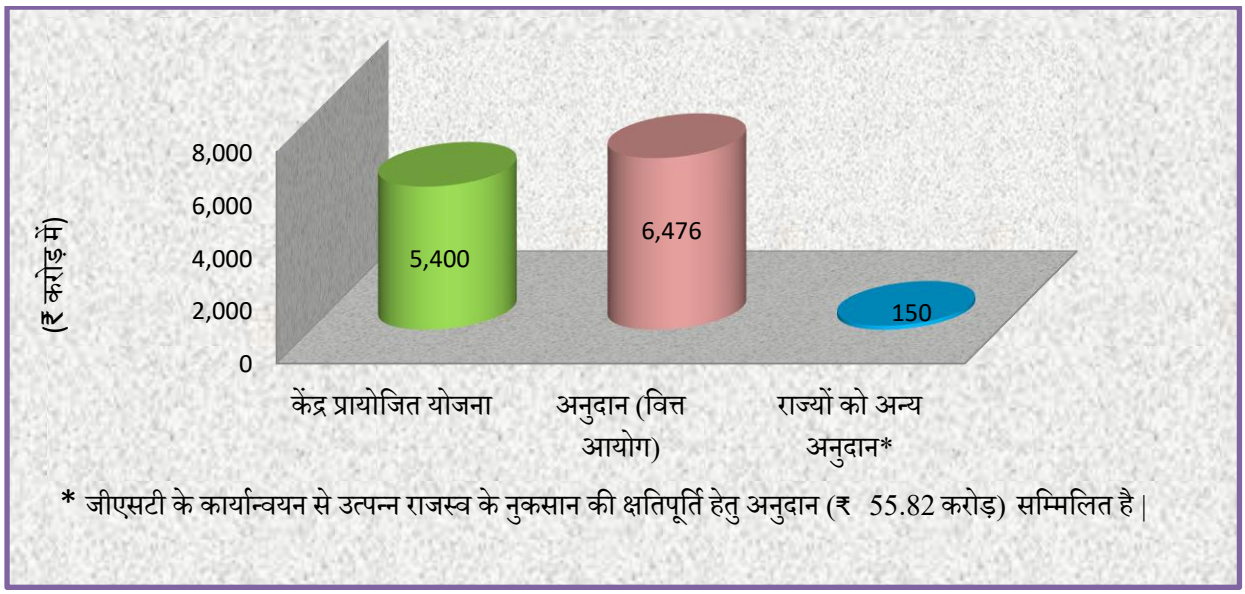

* जीएसटी के कार्यान्वयन से उत्पन्न राजस्व के नुकसान की क्षतिपूर्ति हेतु अनुदान (₹ 55.82 करोड़) सम्मिलित है |

सहायक अनुदान की प्रवृति

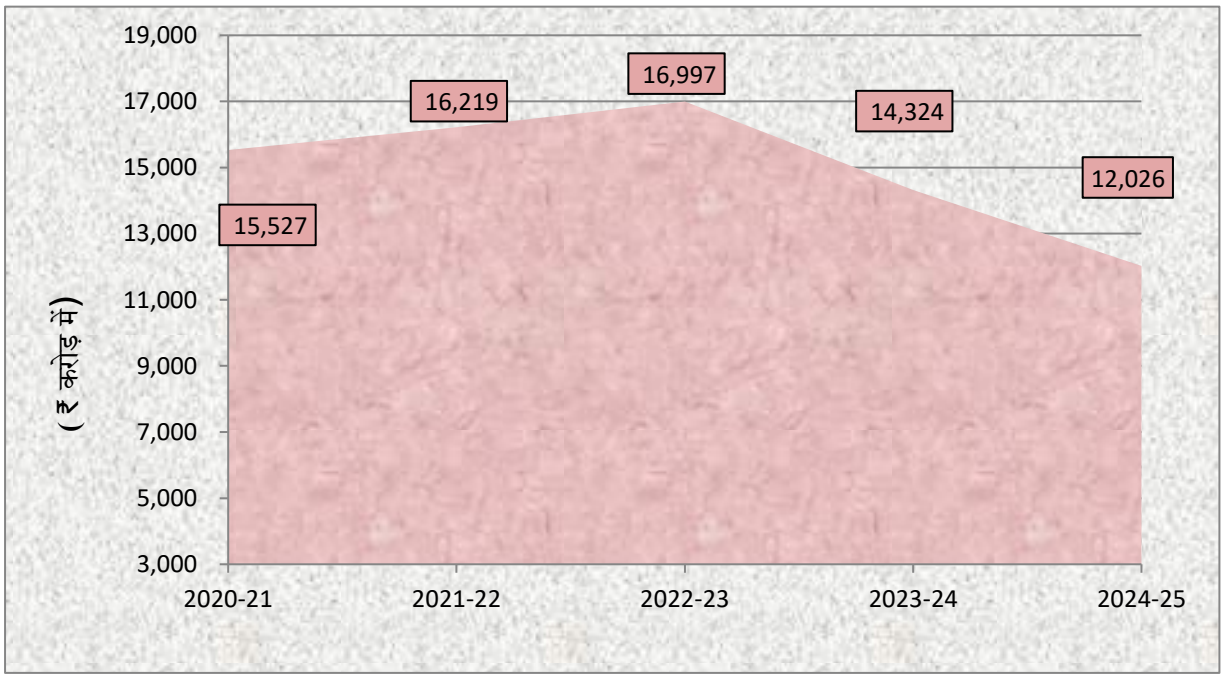

2.7 लोक ऋण

विगत पांच वर्षों में लोक ऋण (आँकड़े वर्ष 2024-25 के दौरान शुद्ध वृद्धि/कमी को दर्शाते हैं) की स्थिति की प्रवृत्ति:

₹ करोड़ में

विवरण	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25
आंतरिक ऋण	3,865	458	-201	3,820	8,177
केन्द्रीय ऋण	3,000	3,630	1,157	1,982	2,537
कुल	6,865	4,088	956	5,802	10,714

वर्ष 2024-25 के दौरान, कुल ₹ 10,400.00 करोड़ के दस ऋण खुले बाजार से 7.05 *प्रतिशत* से 7.50 *प्रतिशत* तक की ब्याज दरों पर लिए गये और वे वर्ष 2029, 2030 एवं 2032 में शोधनीय हैं। इसके अलावा, राज्य सरकार ने वित्तीय संस्थानों से ₹ 804.23 करोड़ का ऋण लिया। भारतीय रिज़र्व बैंक से अर्थोपाय अग्रिमों से ₹ 25,904.74 करोड़ की राशि प्राप्त की गई। इस प्रकार वर्ष 2024-25 के दौरान सरकार द्वारा कुल ₹ 37,108.97 करोड़ का आंतरिक ऋण लिया गया। सरकार ने ऋण और अग्रिम के रूप में भारत सरकार से भी ₹ 2,599.54 करोड़ प्राप्त किए।

उधार निधियाँ अर्थात पूँजीगत व्यय

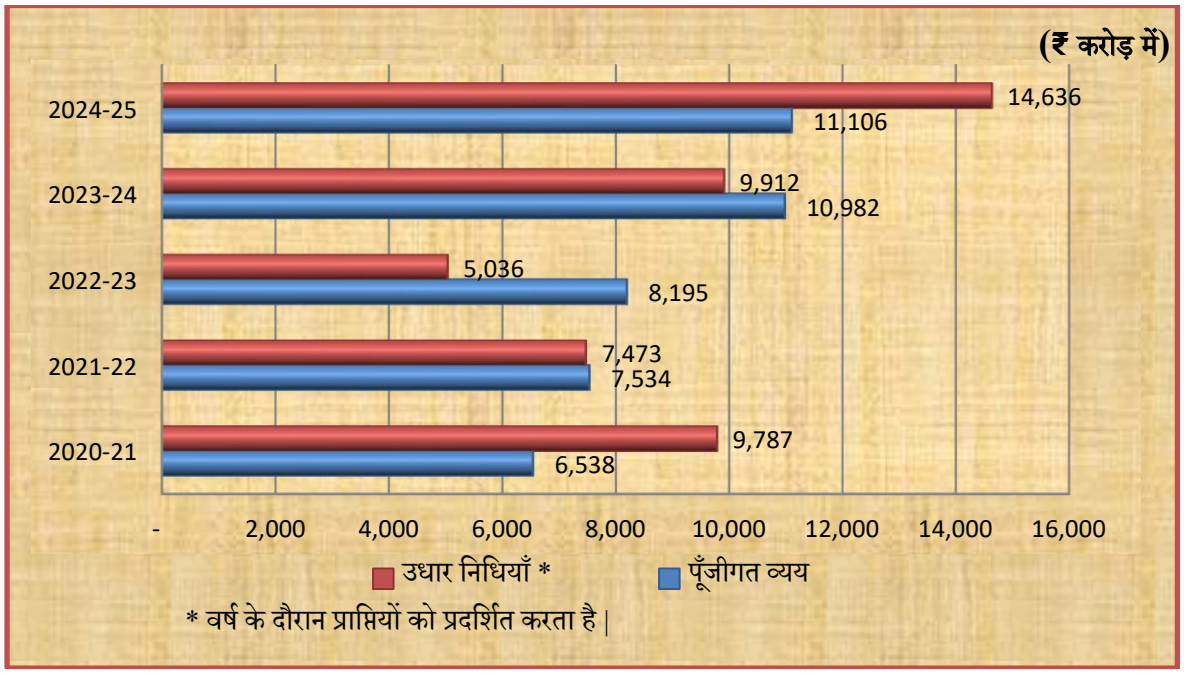

अध्याय 3
व्यय

3.1 परिचय

व्यय को राजस्व व्यय एवं पूँजीगत व्यय के रूप में वर्गीकृत किया जाता है | राजस्व व्यय संगठन के संचालन हेतु दिन-प्रतिदिन की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए किया जाता है | पूँजीगत व्यय स्थाई परिसंपत्तियों के सृजन या इस प्रकार की परिसंपत्तियों की उपयोगिता बढ़ाने या स्थाई देयताओं को कम करने के लिए किया जाता है |

सरकारी लेखे में व्यय को शीर्ष स्तर पर तीन क्षेत्रों में वर्गीकृत किया गया है; सामान्य सेवाएँ, सामाजिक सेवाएँ और आर्थिक सेवाएँ | इन क्षेत्रों के अंतर्गत आने वाले व्यय के महत्वपूर्ण क्षेत्रों का उल्लेख नीचे दी गई तालिका में किया गया है:

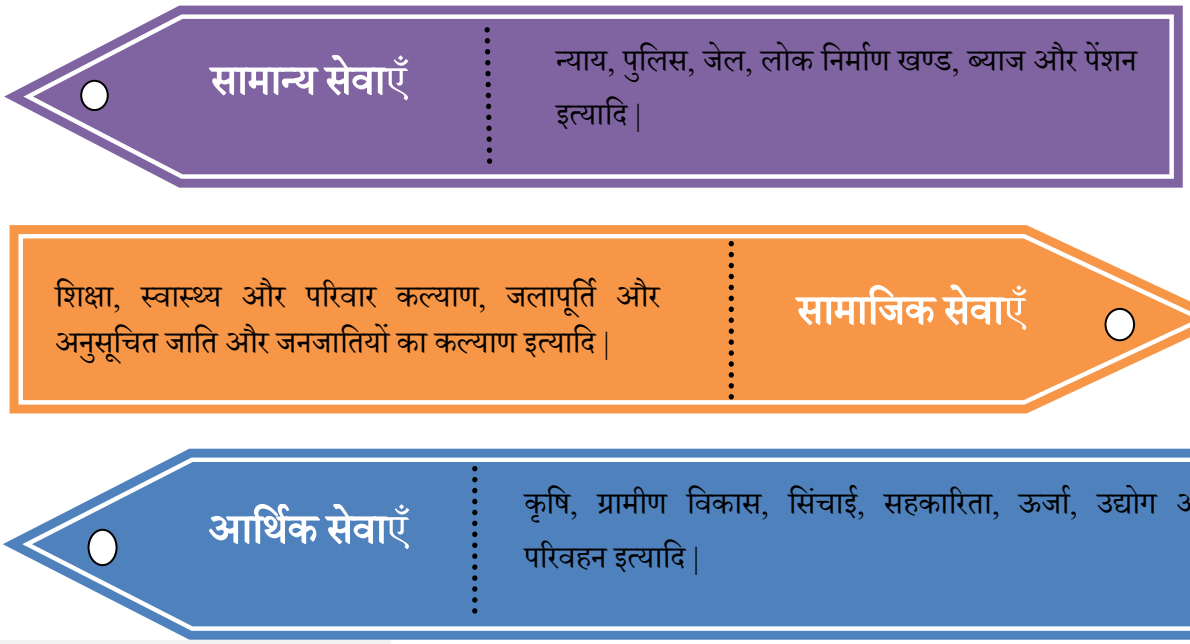

3.2 राजस्व व्यय

पिछले पांच वर्षों के दौरान विनियोग लेखे के अनुसार बजट अनुमानों के विरुद्ध राजस्व व्यय की कमी नीचे दी गई है:

(₹ करोड़ में)

वर्ष	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25
बजट अनुमान	44,461	48,193	51,290	56,279	59,573
वास्तविक आँकड़े	37,091	38,929	43,773	47,274	50,016
अन्तर	7,370	9,264	7,517	9,005	9,557
बजट अनुमान से अन्तर का प्रतिशत	17	19	15	16	16

(स्रोत: सम्बंधित वर्षों के विनियोग लेखे)

वर्ष 2024-25 के दौरान कुल राजस्व व्यय का लगभग 58 *प्रतिशत* प्रतिबद्ध व्यय जैसे वेतन (₹ 16,905 करोड़), ब्याज भुगतान (₹ 5,575 करोड़) और पेंशन (₹ 8,479 करोड़) पर किया गया।

पिछले पांच वर्षों में किए गए प्रतिबद्ध और अप्रतिबद्ध राजस्व व्यय की स्थिति नीचे दी गई है:

(₹ करोड़ में)

घटक	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25
कुल राजस्व व्यय	37,091	38,929	43,773	47,274	50,016
प्रतिबद्ध राजस्व व्यय[1]	23,762	24,814	27,148	28,409	30,608
कुल राजस्व व्यय से प्रतिबद्ध राजस्व व्यय का प्रतिशत	64	64	62	60	61
अप्रतिबद्ध राजस्व व्यय	13,329	14,115	16,625	18,865	19,408

यह देखा जा सकता है कि विभिन्न योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए उपलब्ध अप्रतिबद्ध राजस्व व्यय में 40.63 *प्रतिशत* बढ़ोतरी के साथ वर्ष 2020-21 में ₹ 14,256 करोड़ से बढ़कर 2024-25 में ₹ 20,048 करोड़ हो गया। कुल राजस्व व्यय 34.85 *प्रतिशत* बढ़ोतरी के साथ वर्ष 2020-21 में ₹ 37,091 करोड़ से बढ़कर वर्ष 2024-25 में ₹ 50,016 करोड़ हो गया और इसी अवधि में प्रतिबद्ध राजस्व व्यय में 31.24 *प्रतिशत* की वृद्धि हुई।

[1]प्रतिबद्ध राजस्व व्यय में वेतन, ब्याज, पेंशन और सब्सिडी भुगतान पर किया गया खर्च सम्मिलित है।

3.2.1 राजस्व व्यय का क्षेत्रवार वितरण (2024-25)

(₹ करोड़ में)

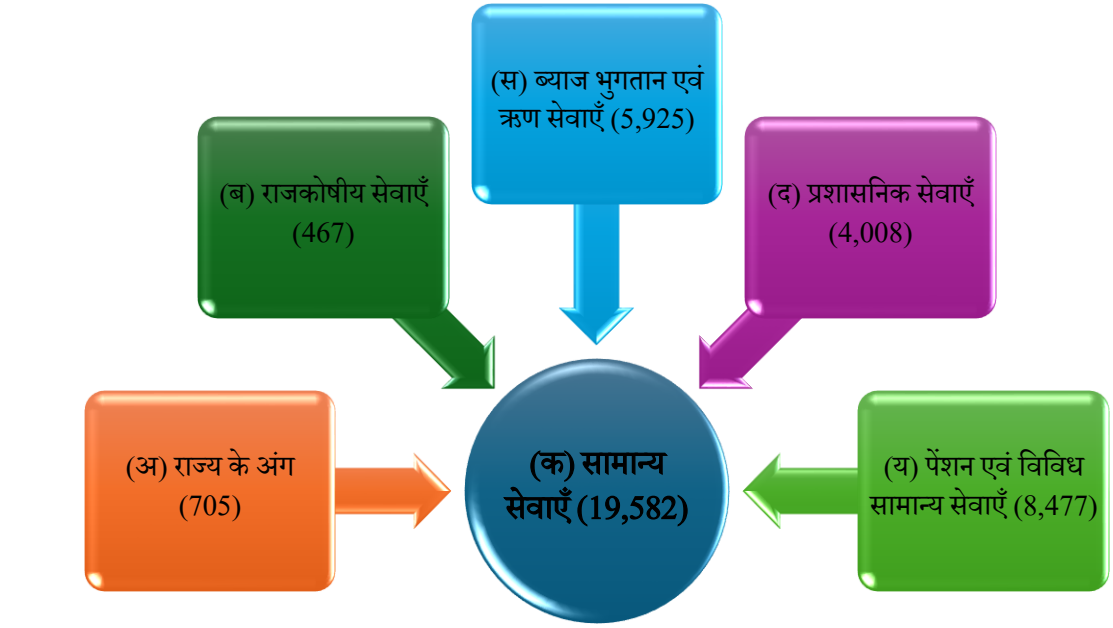

(द) उर्जा
(29)
(य) उद्योग एवं खनिज
(267)
(स) सिचाई एवं बाढ़ नियंत्रण
(604)
(र) परिवहन
(1,338)
(ब) ग्रामीण विकास
(2,153)
(ल) विज्ञान, प्रौद्योगिकी एवं पर्यावरण
(70)
(अ) कृषि एवं सम्बंधित गतिविधियाँ
(2,200)
(ग) आर्थिक सेवाएँ
(7,032)
(व) सामान्य आर्थिक सेवाएँ
(371)

(घ) अनुदान एवं अंशदान
(2,708)

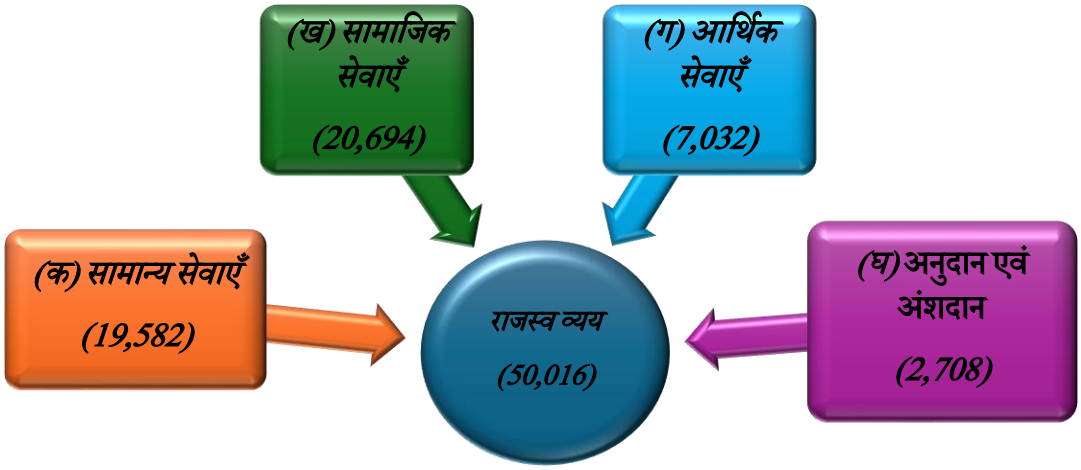
(ख) सामाजिक सेवाएँ
(20,694)
(ग) आर्थिक सेवाएँ
(7,032)
(क) सामान्य सेवाएँ
(19,582)
राजस्व व्यय
(50,016)
(घ) अनुदान एवं अंशदान
(2,708)

3.2.2 राजस्व व्यय के मुख्य घटक 2020-21 से 2024-25

(₹ करोड़ में)

घटक	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25
सामाजिक सेवाएँ	14,762	15,573	18,156	19,653	20,694
आर्थिक सेवाएँ	5,571	6,148	6,687	7,485	7,032
ऋण सेवाएँ	4,923	5,149	5,214	5,302	5,925
सामान्य सेवाएँ (ऋण सेवाओं पर व्यय को छोड़कर)	9,903	10,519	11,675	12,277	13,657
अनुदान एवं अंशदान	1,932	1,540	2,041	2,557	2,708

राजस्व व्यय के मुख्य घटकों की प्रवृति

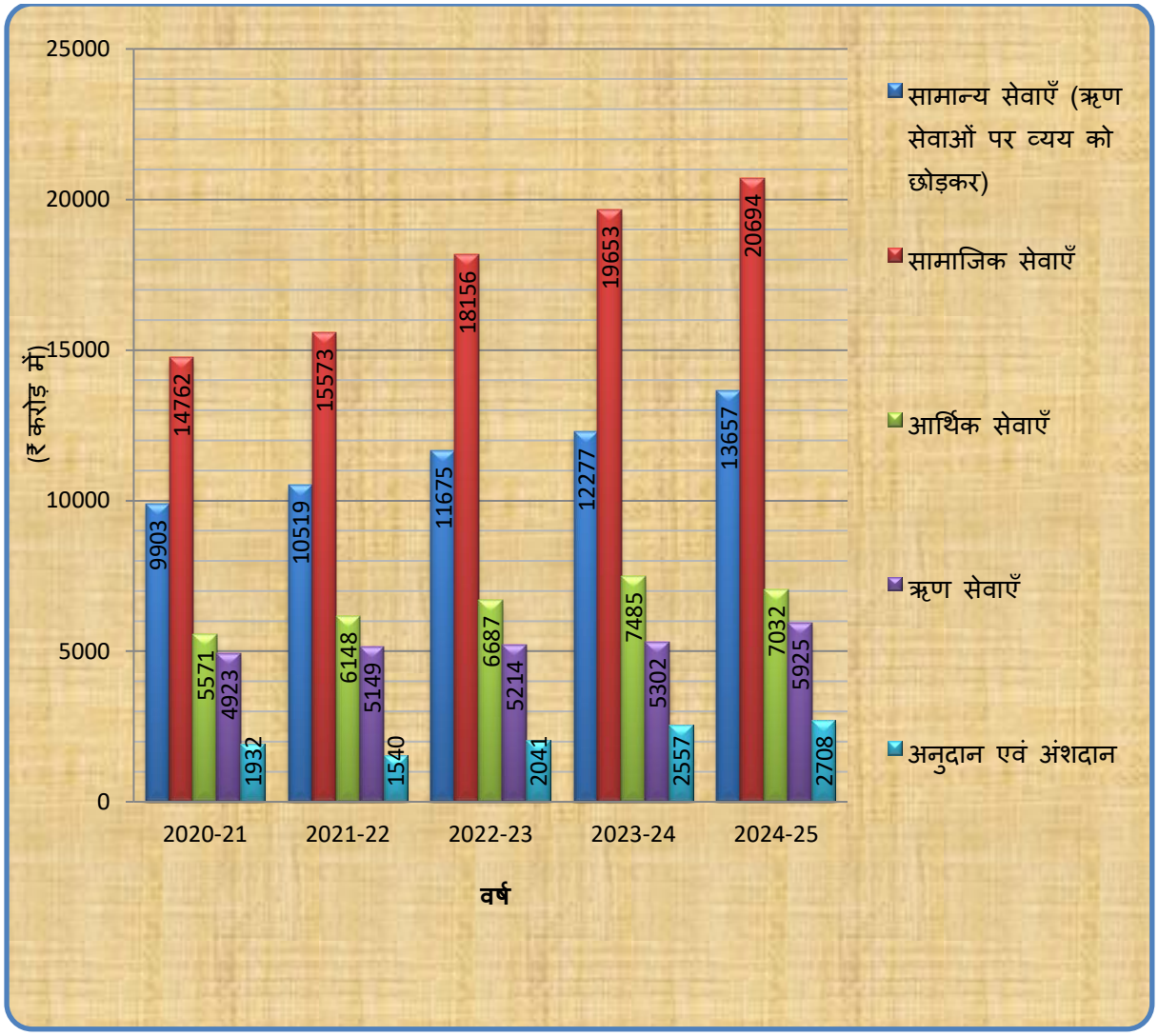

3.3 पूँजीगत व्यय

यदि विकास प्रक्रिया को बनाए रखना है तो पूँजीगत व्यय आवश्यक है। वर्ष 2024-25 के दौरान पूँजीगत व्यय ₹ 11,106 करोड़ (जी.एस.डी.पी. का 2.94 प्रतिशत) बजट अनुमान (₹14,854 करोड़) से ₹ 3,748 करोड़ कम था | पूँजीगत व्यय में वृद्धि ने वर्ष 2020-21 से स्थिर तालमेल बिठाया है |

यह निम्न तालिका में देखा जा सकता है:

(₹करोड़ में)

क्र.सं.	घटक	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25
1	बजट (बजट अनुमान)	7,383	8,973	11,988	16,421	14,854
2	वास्तविक व्यय[2]	6,538	7,534	8,195	10,982	11,106
3	बजट अनुमानों से वास्तविक व्यय की *प्रतिशतता*	89	84	68	67	75
4	पूँजीगत व्यय में वार्षिक वृद्धि	21%	15%	9%	34%	1%
5	सकल राज्य घरेलू उत्पाद	2,25,617	2,54,966	2,92,670	3,32,998	3,78,245
6	सकल राज्य घरेलू उत्पाद में वार्षिक वृद्धि	-5.70%	13.00%	14.79%	13.78%	13.59%

3.3.1 पूँजीगत व्यय का क्षेत्रवार वितरण

2024-25 के दौरान, सरकार ने सड़कों और पुलों के निर्माण पर ₹ 1,348 करोड़ रुपये, आवास और शहरी विकास पर ₹ 1,115 करोड़ रुपये और विभिन्न सिंचाई परियोजनाओं पर ₹ 1,000 करोड़ रुपये खर्च किए। उपर्युक्त के अलावा, सरकार ने सरकारी और अन्य कंपनियों और सहकारी समितियों में ₹ 413 करोड़ रुपये का निवेश किया।

3.3.2 पिछले पांच वर्षों में पूँजीगत व्यय का क्षेत्रवार वितरण

(₹ करोड़ में)

क्षेत्र	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25
सामान्य सेवाएँ	755 (12)	1,085 (14)	1,608 (20)	2,360 (21)	2,048 (17)
सामाजिक सेवाएँ	1,938 (29)	2,262 (29)	2,013 (24)	3,496 (32)	2,927 (25)
आर्थिक सेवाएँ	3,845 (58)	4,187 (53)	4,573 (55)	5,126 (46)	6,131 (52)
ऋण एवं अग्रिम	38 (1)	347 (4)	94 (1)	124 (1)	691 (6)
योग	**6,576**	**7,881**	**8,288**	**11,106**	**11,797**

नोट: कोष्ठक के आँकड़े कुल पूँजीगत व्यय के प्रतिशत को दर्शाते हैं |

[2]ऋण और अग्रिम पर व्यय सम्मिलित नहीं है |

पूँजीगत व्यय के क्षेत्रवार वितरण की प्रवृति

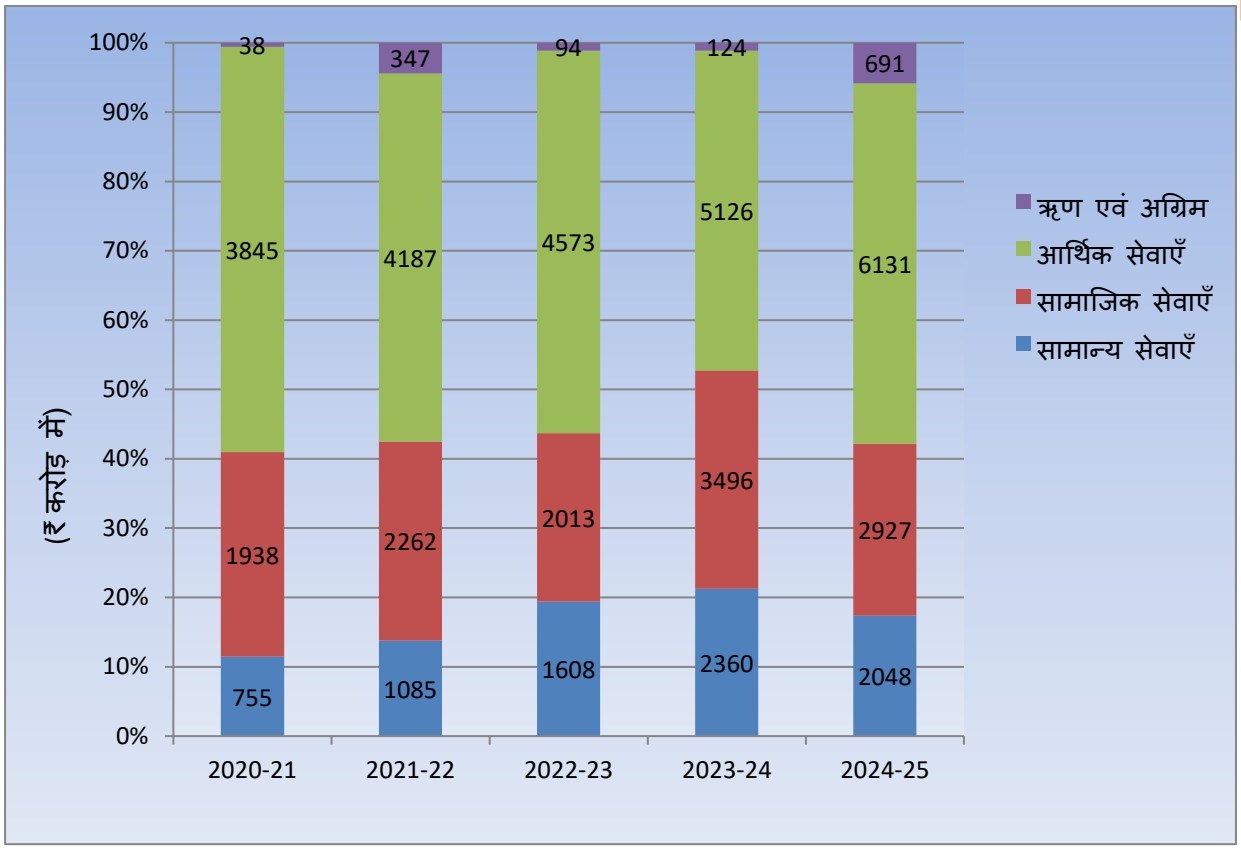

3.3.3 पूँजीगत एवं राजस्व व्यय का क्षेत्रवार वितरण

विगत पांच वर्षों में पूँजीगत और राजस्व व्यय का तुलनात्मक क्षेत्रवार विवरण निम्न दिखाया गया है:

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	क्षेत्र		2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25
क	सामान्य सेवाएँ	पूँजीगत	755	1,085	1,608	2,360	2,048
		राजस्व	14,826	15,668	16,889	17,579	19,582
ख	सामाजिक सेवाएँ	पूँजीगत	1,938	2,262	2,013	3,496	2,927
		राजस्व	14,762	15,573	18,156	19,653	20,694
ग	आर्थिक सेवाएँ	पूँजीगत	3,845	4,187	4,574	5,126	6,131
		राजस्व	5,571	6,148	6,687	7,485	7,032
घ	सहायक अनुदान एवं अंशदान	पूँजीगत	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध
		राजस्व	1,932	1,540	2,041	2,557	2,708

3.4 प्रतिबद्ध व्यय

पिछले वर्ष की तुलना में 2024-25 में वेतन, पेंशन, और ब्याज भुगतान पर व्यय में वृद्धि देखी गई :

प्रतिबद्ध व्यय की प्रवृति

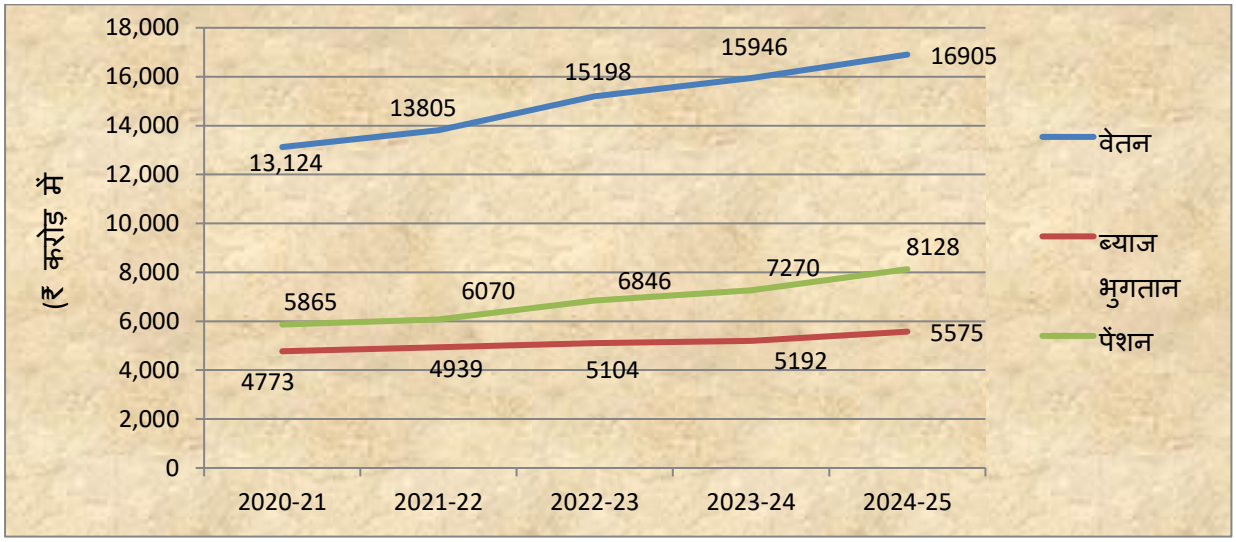

पिछले पांच वर्षों में राजस्व व्यय और राजस्व प्राप्तियों की तुलना में प्रतिबद्ध व्यय की प्रवृत्ति को नीचे दर्शाया गया है:

(₹ करोड़ में)

घटक	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25
प्रतिबद्ध व्यय	23,762	24,814	27,148	28,409	30,608
राजस्व व्यय	37,091	38,929	43,773	47,274	50,016
राजस्व प्राप्तियाँ	38,204	43,057	49,083	50,615	51,473
प्रतिबद्ध व्यय का राजस्व प्राप्तियों से *प्रतिशत*	62	58	55	56	59
प्रतिबद्ध व्यय का राजस्व व्यय से *प्रतिशत*	64	64	62	60	61

2020-21 से 2024-25 के लिए प्रतिबद्ध व्यय में 29 प्रतिशत की वृद्धि हुई, जबकि राजस्व व्यय में इसी अवधि के दौरान 35 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई, जिससे सरकार को विकास कार्यों के लिए धन की कमी रही।

अध्याय 4
विनियोग लेखे

4.1 वर्ष 2024-25 के विनियोग लेखे का सारांश

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	व्यय का स्वरूप	मूल अनुदान	अनुपूरक अनुदान	अभ्यर्पण	योग	वास्तविक व्यय	बचत(-) / आधिक्य (+)
1	राजस्व दत्तमत भारित	48,579.49 *7,236.28*	3,754.89 *2.00*	798.05 *4.89*	52,334.38 7,238.28	47,122.63 *6,117.80*	(-)5,211.75 *(-)1,120.48*
2	पूँजीगत दत्तमत भारित	13,779.67 *0.00*	1,074.48 *0.00*	89.56 *0.00*	14,854.15 0.00	11,230.66 *0.00*	(-)3,623.49 *0.00*
3	लोक ऋण भारित	*19,136.53*	*0.00*	*0.00*	19,136.53	*28,994.14*	*(+)9,857.61*
4	ऋण एवं अग्रिम दत्तमत भारित	495.00 3.10	181.68 0.00	0.00 0.00	676.68 3.10	691.00 0.00	(+)14.32 (-)3.10
	कुल योग	**89,230.07**	**5,013.05**	**892.50**	**94,243.12**	**94,156.23**	**(-)86.89**

4.2 विगत पांच वर्षों के दौरान बचत /आधिक्य की प्रवृति

(₹ करोड़ में)

	बचत(-)/आधिक्य (+)				
वर्ष	**राजस्व**	**पूँजीगत**	**लोक ऋण**	**ऋण एवं अग्रिम**	**कुल**
2020-21	(-)7,370.06	(-)2,772.89	(+)4,766.28	(-)213.98	(-)5,590.65
2021-22	(-)9,263.80	(-)4,758.81	(-)411.42	(+)115.98	(-)14,318.05
2022-23	(-)7,517.01	(-)3,730.91	(+)896.53	(-)67.63	(-)10,419.02
2023-24	(-)9,004.67	(-)5,239.07	(+)7,302.10	(-)176.86	(-)7,118.50
2024-25	(-)6,332.23	(-)3,623.49	(+)9,857.61	(+)11.22	(-)86.89

4.3 महत्वपूर्ण बचतें

अनुदान के तहत पर्याप्त बचत कुछ योजनाओं /कार्यक्रमों के या तो गैर-कार्यान्वयन या धीमे कार्यान्वयन को इंगित करती है। लगातार और महत्वपूर्ण शुद्ध बचत वाले कुछ अनुदान नीचे दिए गए हैं:-

(₹ करोड़ में)

अनुदान सं०	नामांकन	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25
04	न्यायिक प्रशासन	109	96	122	341	110
20	सिंचाई एवं बाढ़	589	634	480	332	534
29	बागवानी विकास	97	74	162	380	207
30	अनुसूचित जातियों का कल्याण	404	940	757	766	947
31	अनुसूचित जनजातियों का कल्याण	184	235	240	269	393

2024-25 के दौरान कुल ₹ 5,013.05 करोड़ (कुल मूल अनुदान का 5.62 *प्रतिशत*) के अनुपूरक अनुदान कुछ मामलों में अनावश्यक साबित हुए, जहाँ मूल आवंटन के सापेक्ष भी वर्ष के अंत में महत्वपूर्ण बचत हुई थी | कुछ उदाहरण नीचे दिए गए हैं:-

(₹ करोड़ में)

अनुदान सं०	नामांकन	अनुभाग	मूल बजट	वास्तविक व्यय	मूल बजट के सापेक्ष बचत	अनुपूरक बजट
01	2011- संसद राज्य/संघ राज्य क्षेत्र विधानमंडल 02- राज्य/संघ राज्य क्षेत्र विधानमंडल 103-विधान सचिवालय 03-विधान सभा सचिवालय	राजस्व दत्तमत	51.51	30.17	21.34	1.00
04	2014- न्याय का प्रशासन 105-सिविल एवं सत्र न्यायालय 03-जिला एवं सत्र न्यायाधीश	राजस्व दत्तमत	211.74	183.75	27.99	7.26
07	2043-राज्य वस्तु एवं सेवा कर के अंतर्गत संग्रहण प्रभार 001-निदेशन तथा प्रशासन 03-अधिष्ठान	राजस्व दत्तमत	39.06	17.50	21.56	2.50
10	2055-पुलिस 115-पुलिस बल का आधुनिकीकरण 01-केंद्र द्वारा पुरोनिधानित योजना	राजस्व दत्तमत	3.64	1.63	2.01	73.21

अनुदान सं०	नामांकन	अनुभाग	मूल बजट	वास्तविक व्यय	मूल बजट के सापेक्ष बचत	अनुपूरक बजट
11	2202-सामान्य शिक्षा 02-माध्यमिक शिक्षा 001-निदेशन तथा प्रशासन 03-माध्यमिक शिक्षा का अधिष्ठान	राजस्व दत्तमत	10.89	8.45	2.44	0.20
12	2210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य 05-चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण और अनुसन्धान 105-एलोपैथी 04-मेडिकल कॉलेज	राजस्व दत्तमत	570.09	492.77	77.32	47.41
15	2235-सामाजिक सुरक्षा और कल्याण 02-समाज कल्याण 102-बाल कल्याण 01-केंद्र द्वारा पुरोनिधानित योजना	राजस्व दत्तमत	480.35	287.64	192.71	125.79
17	2401-फसल कृषिफर्म 001-निदेशन तथा प्रशासन 01- केंद्र द्वारा पुरोनिधानित योजना	राजस्व दत्तमत	157.78	109.71	48.07	26.63
19	2515-अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम 102-सामुदायिक विकास 01-केंद्र द्वारा पुरोनिधानित योजना	राजस्व दत्तमत	235.67	27.82	207.85	30.00
28	2405-मत्स्य पालन 101-अंतर्देशीय मत्स्य पालन 01- केंद्र द्वारा पुरोनिधानित योजना	राजस्व दत्तमत	51.00	20.00	31.00	2.31
30	2401-फसल कृषिकर्म 001-निदेशन तथा प्रशासन 01-केंद्र द्वारा पुरोनिधानित योजना	राजस्व दत्तमत	33.13	23.16	9.97	5.91
31	2202-सामान्य शिक्षा 01-प्रारम्भिक शिक्षा 113-समग्र शिक्षा 01- केंद्र द्वारा पुरोनिधानित योजना	राजस्व दत्तमत	43.24	12.12	31.12	2.55

कुछ उदाहरण, जहां वर्ष के अंत में अधिक व्यय हुए, नीचे दिए गए हैं:

(₹ करोड़ में)

अनुदान सं०	नामांकन	अनुभाग	मूल बजट	अनुपूरक बजट	कुल बजट	वास्तविक व्यय	कुल बजट के सापेक्ष आधिक्य
07	6003- राज्य सरकार का आन्तरिक ऋण 110- भारतीय रिजर्व बैंक से अर्थोपाय-अग्रिम 03- अर्थोपाय अग्रिम का प्रतिदान	पूँजीगत भारित	*15,000.00*	*0.00*	*15,000.00*	*25,072.96*	*10,072.96*
07	6004-केंद्र सरकार से ऋण और अग्रिम 09-विधानमंडल सहित संघ राज्य क्षेत्र / राज्य योजनाओं के लिए अन्य ऋण 101-ब्लॉक ऋण 03-एकमुश्त उधार	पूँजीगत भारित	*10.00*	*0.00*	*10.00*	*21.51*	*11.51*

अध्याय 5
परिसम्पत्तियाँ एवं देयताएं

5.1 परिसम्पत्तियाँ

लेखों का मौजूदा रूप, अधिग्रहण/खरीद के वर्ष को छोड़कर, शासकीय परिसंपत्तियों जैसे भूमि, भवन आदि का मूल्यांकन स्पष्ट रूप से नहीं दर्शाता है | इसी प्रकार, लेखे वर्तमान वर्ष में उत्पन्न होने वाली देनदारियों का प्रभाव प्रस्तुत करते हैं परन्तु वे भावी पीढ़ियों पर पड़ने वाले दायित्वों के समग्र प्रभाव को नहीं दर्शाते | वे केवल एक सीमा तक ब्याज की दर तथा मौजूदा ऋण की अवधि को दर्शाते हैं |

वर्ष 2024-25 के अंत में गैर वित्तीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम में शेयर पूँजी के रूप में कुल निवेश ₹ 4,940.50 करोड़ था | हालांकि, वर्ष के दौरान कुल निवेश पर प्राप्त लाभांश ₹ 21.10 करोड़ (0.42 *प्रतिशत*) था | वर्ष 2024-25 के दौरान पिछले वर्ष की तुलना में निवेश में ₹ 413 करोड़ की वृद्धि हुई, जबकि लाभांश आय में ₹ 4.1 करोड़ की वृद्धि हुई |

1 अप्रैल 2024 को आर.बी.आई के पास नकद शेष राशि ₹ 102.34 करोड़ (जमा) थी और मार्च 2025 के अंत में बढ़कर ₹ 1.19 करोड़ (जमा) हो गई। इसके अलावा, वर्ष 2024-25 के दौरान सरकार द्वारा ₹ 12,395.83 करोड़ की राशि का 60 अवसरों पर 14 दिनों के ट्रेजरी बिलों में निवेश किया गया और 110 अवसरों पर ₹ 12,395.83 करोड़ के ट्रेजरी बिलों को भुनाया गया। वर्ष 2024-25 के दौरान निवेश की स्थिति को नीचे दी गई तालिका में दर्शाया गया है- :

(₹ करोड़ में)

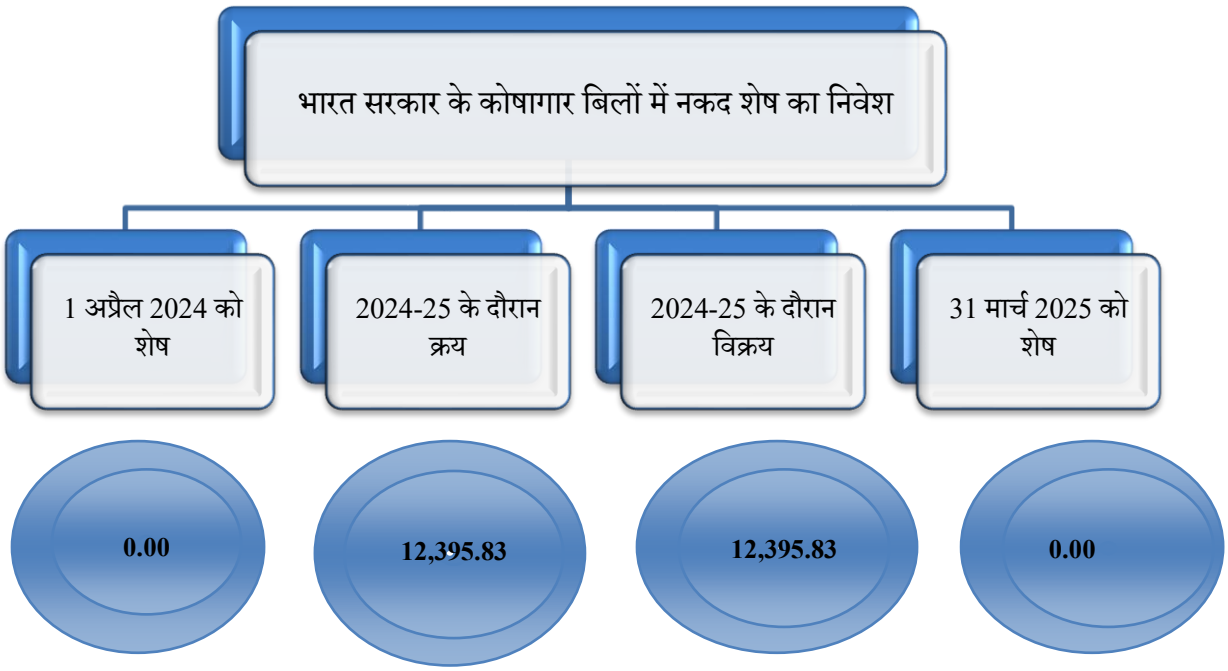

5.2 ऋण एवं दायित्व

भारत के संविधान का अनुच्छेद 293 राज्य सरकार को संचित निधि की जमानत पर उधार लेने का अधिकार देता है। भारत सरकार समय-समय पर वह सीमा निर्धारित करती है, जिस सीमा तक राज्य सरकार बाजार से उधार ले सकती है। उत्तराखंड सरकार के FRBM अधिनियम के अनुसार, वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए कुल ऋण का जीएसडीपी से अनुपात 32.8 *प्रतिशत* से कम होगा | हालांकि मार्च 2025 के अंत में उत्तराखंड सरकार का कुल कर्ज ₹ 90,657 करोड़ (यानी जीएसडीपी का 23.96 *प्रतिशत*) राज्य सरकार के लोक ऋण और कुल दायित्वों का विगत पाँच वर्षों का विवरण निम्नानुसार है:

वर्ष	लोक ऋण (₹करोड़ में)[2]	जीएसडीपी से *प्रतिशत*	लोक लेखा[1] (₹करोड़ में)	जीएसडीपी से *प्रतिशत*	कुल देनदारियाँ (₹करोड़ में)[2]	जीएसडीपी से *प्रतिशत*
2020-21	54,799	24.28	16,636	7.37	71,435	31.66
2021-22	55,554	21.79	15,821	6.20	71,375	28.00
2022-23	56,510	19.30	16,350	5.58	72,860	24.89
2023-24	62,312	18.71	17,954	5.39	80,266	24.10
2024-25	**73,026**	**19.30**	**17,631**	**4.66**	**90,657**	23.96

नोट: आंकड़े वर्ष के अंत तक प्रगामी शेष हैं |

लोक ऋण और अन्य देनदारियों में पिछले वर्ष की तुलना में वर्ष 2024-25 में ₹ 10,391 करोड़ (12.94 *प्रतिशत*) की शुद्ध वृद्धि हुई।

सरकारी दायित्वों की प्रवृति

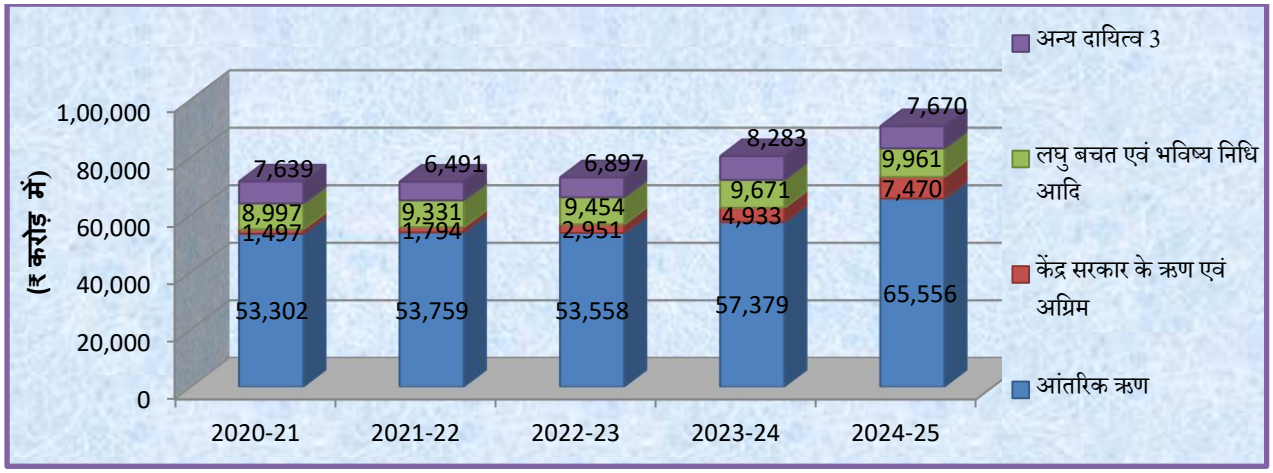

[1]उचन्त और प्रेषण शेष सम्मिलित नहीं है |

[2]जीएसटी क्षतिपूर्ति कमी के बदले भारत सरकार से प्राप्त ₹ 4008.88 करोड़ (2020-21 के लिए ₹ 1,158.00 करोड़ + 2021-22 के लिए ₹ 2,850.88 करोड़) के बैक-टू-बैक ऋण को जीएसडीपी के लिए बकाया ऋण के अनुपात की गणना के लिए बाहर रखा गया है। भारत सरकार के स्पष्टीकरण पत्र सं.F. No. 40 (1) PF-S/2021-22 दिनांक 10-12-2021 के अनुसार इस उधार को वित्त आयोग द्वारा निर्धारित किसी भी मानदंड के लिए राज्य के ऋण के रूप में नहीं माना जाएगा।

[3] ब्याज और बिना ब्याज की देयताएँ जैसे स्थानीय निधि में जमा, अन्य उद्दिष्ट निधियाँ इत्यादि |

5.3 प्रत्याभूतियाँ

सीधे ऋण जुटाने के अलावा, राज्य सरकार, विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के लिए बाजार और वित्तीय संस्थानों से सरकारी कंपनियों और निगम द्वारा उठाए गए ऋणों की गारंटी भी देती है। संवैधानिक निगमों, सरकारी कंपनियों तथा निगमों, सहकारी समितियों आदि द्वारा लिए गये ऋण, पूँजी तथा उस पर ब्याज के भुगतान की अदायगी के राज्य सरकार द्वारा दी गई प्रत्याभूतियाँ, उनके न चुका पाने की स्थिति में राज्य सरकार की समेकित निधि पर उत्तरदायित्व है तथा इन प्रत्याभूतियों को राज्य बजट से बाहर पेश किया गया है। जिस सीमा तक राज्य सरकार द्वारा जानकारी प्रस्तुत की गई थी, सरकार द्वारा दी गई प्रत्याभूति पर वित्त लेखे के विवरण 9 और 20 को IGAS 1 की आवश्यकताओं के अनुसार तैयार किया गया है। राज्य सरकार ने बकाया प्रत्याभूतियों पर सीमित जानकारी प्रदान की है। गारंटी कमीशन द्वारा प्राप्य/ प्राप्त प्रत्याभूतियों की अधिकतम धनराशि जो वर्ष के दौरान जोड़ी/आवहानित/ख़ारिज/ख़ारिज नहीं की गई, से सम्बंधित अधूरी जानकारी राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गई है। विवरण में निहित जानकारी उस सीमा तक अधूरी है |

सांविधिक निगम, सरकारी कंपनियों, निगमों, सहकारी समितियों आदि द्वारा उठाए गए ऋणों (मूलधन और उस पर ब्याज) के पुनः भुगतान के लिए राज्य सरकार द्वारा दी गई प्रत्याभूतियों की स्थिति नीचे दी गई है:

(₹ करोड़ में)

वर्ष के अन्त में	प्रत्याभूति की अधिकतम राशि (केवल मूलधन)	वर्ष के अंत तक बकाया धनराशि	
		मूलधन	ब्याज
2020-21	अनुपलब्ध[4]	729	सूचना उपलब्ध नहीं
2021-22	अनुपलब्ध4[4]	374	सूचना उपलब्ध नहीं
2022-23	407[5]	117	सूचना उपलब्ध नहीं
2023-24	409[5]	119	सूचना उपलब्ध नहीं
2024-25	388[5]	106	सूचना उपलब्ध नहीं

[4] *राज्य सरकार द्वारा सूचना उपलब्ध नहीं कराई गई |*

[5] *राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी के आधार पर |*

अध्याय 6
अन्य मदें

6.1 प्रतिकूल शेष

प्रतिकूल शेष एक ऐसी स्थिति है, जब वित्तीय वर्ष के अंत में शेष राशि पर बंद होने वाला खाता शीर्ष ऋणात्मक शेष दर्शाता है, डेबिट/(-) क्रेडिट शेष देयता शीर्षों या शीर्षों का प्रतिनिधित्व करता है जहां इसमें सामान्य रूप से क्रेडिट शेष होना चाहिए, और क्रेडिट/(-) डेबिट शेष संपत्ति शीर्षों या शीर्षों का प्रतिनिधित्व करता है जहां इसमें सामान्य रूप से डेबिट शेष होना चाहिए। खाता शीर्ष में प्रतिकूल शेष या तो गलत वर्गीकरण, धन की उपलब्धता से अधिक संवितरण, प्राप्त योगदान से अधिक संवितरण, एक लेखा इकाई से दूसरी में शेष राशि को आगे नहीं ले जाने, राज्यों/अधिक लेखा इकाइयों के निर्माण के लिए प्रशासनिक पुनर्गठन आदि के कारण उत्पन्न होता है।

31.03.2025 तक 21 मदों में ऋणात्मक अवशेष का विवरण निम्नवत् है:

प्रमुख शीर्षक	प्रमुख शीर्ष विवरण	माइनस बैलेंस (₹ करोड़ में)	कारण/टिप्पणी
6801-00-800	बिजली बोर्डों को अन्य ऋण	(-)7.72	गलत वर्गीकरण
6801-05-800	बिजली बोर्डों को अन्य ऋण	(-)143.00	
6851-00-102	लघु उद्योग	(-)0.18	उत्तर प्रदेश एवं उत्तराखंड राज्यों के विभाजन से पहले स्वीकृत ऋणों की वसूली
7610-00-201	गृह निर्माण अग्रिम	(-)17.08	
7610-00-202	मोटर वाहन की खरीद के लिए अग्रिम राशि	(-)4.28	
7610-00-204	कंप्यूटर की खरीद के लिए अग्रिम राशि	(-)0.05	
7610-00-800	अन्य अग्रिम	(-)0.21	
8009-60-102	अंशदायी भविष्य पेंशन निधि	(-)0.48	गलत वर्गीकरण
8010-00-105	अन्य ट्रस्ट	(-)0.31	विरासत का मुद्दा, विभाजन के बाद से प्रतिकूल
8011-00-106	अन्य बीमा और पेंशन निधि	(-)0.42	गलत वर्गीकरण
8011-00-800	स्थानीय निकाय	(-)0.10	
8229-00-110	विद्युत विकास निधि	(-)36.48	2014-15 के दौरान अतिरिक्त व्यय, समाधान के अधीन

8443-00-106	व्यक्तिगत निक्षेप	(-)2.49	उत्तर प्रदेश और उत्तराखण्ड राज्यों के बीच बंटवारा अभी भी लंबित है
8443-00-117	सार्वजानिक निकायों अथवा व्यक्तिगत कार्य हेतु निक्षेप	(-)0.21	
8443-00-123	शैक्षिक संस्थानों के लिए निक्षेप	(-)2.05	
8443-00-900	सिविल न्यायलय व्यपगत निक्षेप	(-)18.24	
8448-00-103	छावनी निधि	(-)1.52	
8448-00-105	राज्य परिवहन निगम निधि	(-)6.27	
8448-00-111	चिकित्सा तथा अक्षय निधि	(-)6.62	
8671-00-101	विभागीय अवशेष (सिविल)	(-)10.71	अप्रैल 2019 में आई.एफ.एम.एस.के कार्यान्वयन के बाद से, कार्य प्रभाग का लेखांकन बदल गया है| अब सभी कार्य प्रभागो का लेन-देन नगद आधार पर कोषागार के माध्यम से किया जा रहा है| आई.एफ.एम.एस. के कार्यान्वयन के बाद से यह लेखा शीर्ष अब निष्क्रिय हैं|
8672-00-101	स्थायी नगद अग्रदाय (सिविल)	(-)0.81	

6.2 राज्य सरकार द्वारा दिए गए ऋण और अग्रिम

राज्य सरकार के विभाग सरकारी सेवकों सहित विभिन्न लाभार्थियों को दिए गए ऋण और अग्रिमों का विस्तृत लेखा-जोखा रखते हैं। राज्य सरकार द्वारा प्रस्तुत की गई जानकारी की सीमा तक सरकार द्वारा दिए गए ऋण और अग्रिमों पर वित्त लेखे के विवरण संख्या 7 और 18 को IGAS 3 की आवश्यकताओं के अनुसार तैयार किया गया है। राज्य सरकार के विभागों ने सदा के लिए स्वीकृत ऋणों के बकाया मूलधन का विवरण प्रस्तुत नहीं किया है । परिणामस्वरूप, IGAS 3 की आवश्यकताओं को इन लेखों में पूरा नहीं किया गया है। सरकार को विभिन्न सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और अन्य निकायों की दस्तावेजों में उपलब्ध ऋण और अग्रिम आँकड़ों को वित्त लेखे के आँकड़ों के साथ मिलान करने की आवश्यकता है, जो नहीं किया गया है | राज्य सरकार द्वारा 2024-25 के अंत में किए गए कुल बकाया ऋण और अग्रिम ₹ 3,217.20 करोड़ थे । इसमें से सरकारी निगमों/कंपनियों, गैर- सरकारी संस्थानों और स्थानीय निकायों को दिए गए ऋण और अग्रिम की राशि ₹ 2,613.00 करोड़ थी। बकाया ब्याज की वसूली से संबंधित सूचना राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध नहीं कराई गई थी। वर्ष 2024-25 के दौरान केवल ₹ 36-69 करोड़ ऋण और अग्रिम की अदायगी के लिए प्राप्त हुए, जिसमें से ₹ 0.72 करोड़ सरकारी कर्मचारियों को ऋण की अदायगी से संबंधित हैं। बकाया ऋणों की वसूली के लिए प्रभावी कदमों से सरकार को अपनी वित्तीय स्थिति में सुधार करने में मदद मिलेगी ।

वार्षिक शेष राशि राज्य सरकार को स्वीकृति के लिए भेजी जाती है। वर्ष 2000-01 से 2024-25 तक, निम्नलिखित छः प्रमुख लेखा शीर्षों से संबंधित ₹ 2,540.32 करोड़ की राशि के लिए कुल 417 स्वीकृतियाँ प्रतीक्षित हैं। शेष का मिलान किया जा रहा है |

क्र.सं.	मुख्य शीर्ष	वांछित स्वीकृतियों की संख्या	राशि (₹ करोड़ में)
1.	6216-आवास हेतु ऋण	03	35.81
2.	6401-फसल कृषि कर्म हेतु ऋण	14	607.35
3.	6404-डेयरी विकास हेतु ऋण	01	10.00
4.	6425-सहकारिता हेतु ऋण	106	302.17
5.	6801- विद्युत परियोजनाओं हेतु ऋण	264	1,482.39
6.	7055-सड़क परिवहन हेतु ऋण	29	102.59
योग		**417**	**2,540.32**

6.3 स्थानीय निकायों एवं अन्य को वित्तीय सहायता

भारत सरकार के लेखा मानक (IGAS)-2 के अनुसार सहायक अनुदान पर व्यय अनुदानदाता के दस्तावेजों में राजस्व व्यय के रूप में और अंत उपयोग की परवाह किये बिना प्राप्तकर्ता के दस्तावेजों में राजस्व प्राप्ति के रूप में दर्ज किया जाता है। इसके अलावा, IGAS-2 की आवश्यकताओं में से एक सहायक अनुदान का प्रवृतिवार चित्रण है, जिसके बारे में राज्य सरकार द्वारा कोई जानकारी नहीं दी गई है|

स्थानीय निकायों, स्वायत्त निकायों आदि को दी जाने वाली अनुदान सहायता 2020-21 में ₹ 6,440.76 करोड़ से ₹ 733.69 करोड़ रुपये बढ़कर 2024-25 में ₹ 7,174.45 करोड़ हो गई। जिला परिषदों और पंचायती राज संस्थानों, नगर निगमों और नगर पालिकाओं को अनुदान (₹ 2,707.65 करोड़) वर्ष के दौरान दिए गए कुल अनुदान (पूँजीगत परिसंपत्तियों के निर्माण के लिए अनुदान को छोड़कर) का 37.74 *प्रतिशत* है । पिछले पांच वर्षों के लिए सहायता अनुदान का विवरण निम्नानुसार है:

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	संस्था का नाम	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25
1.	जिला परिषद् एवं पंचायती राज संस्थाएँ	955.29	655.97	996.62	1,249.06	1,208.12
2.	नगर निगम और नगर पालिकाएँ	976.91	734.27	1,044.05	1,308.34	1,499.53
3.	विश्वविद्यालय और शैक्षिक संस्थान	320.36	315.23	328.22	351.43	283.08
4.	विकास एजेंसियाँ	258.25	133.12	330.04	159.63	177.31
5.	अस्पताल और अन्य धर्मार्थ संस्थान	346.06	418.76	505.60	579.69	487.55
6.	अन्य संस्थान	3,583.89	3,601.09	4,426.78	3,352.55	3,518.86
	कुल	**6,440.76**	**5,858.45**	**7,631.31**	**7,000.70**	**7,174.45**

प्रदत्त सहायक अनुदान

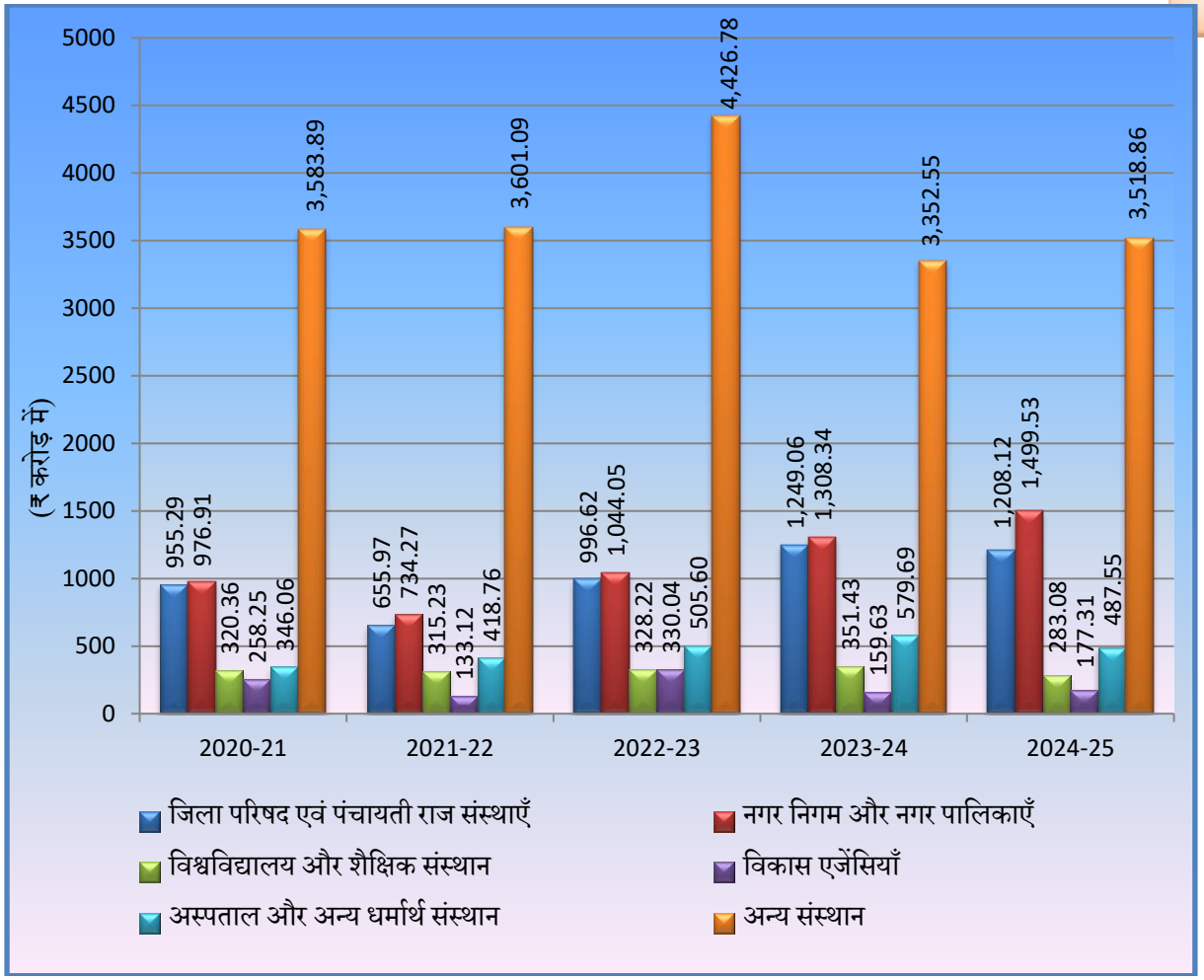

विगत पांच वर्षों में परिसम्पतियों के सृजन के लिए सहायक अनुदान का विवरण निम्नानुसार है:

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	संस्थानों का नाम	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25
1.	जिला परिषद् एवं पंचायती राज संस्थाएँ	रिक्त	रिक्त	रिक्त	रिक्त	रिक्त
2.	नगर निगम और नगरपालिकाएँ	रिक्त	रिक्त	रिक्त	रिक्त	रिक्त
3.	विश्वविद्यालय और शैक्षिक संस्थान	13.06	2.14	11.80	17.81	16.50
4.	विकास एजेंसियाँ	रिक्त	रिक्त	रिक्त	रिक्त	रिक्त
5.	अस्पताल और अन्य धर्मार्थ संस्थान	रिक्त	रिक्त	रिक्त	रिक्त	रिक्त
6.	अन्य संस्थान	506.41	703.96	438.67	521.17	888.44
	योग	**519.47**	**706.10**	**450.47**	**538.98**	**904.90**

6.4 रोकड़ शेष और रोकड़ शेष का निवेश

(₹ करोड़ में)

घटक	31 मार्च 2024 को स्थिति	31 मार्च 2025 को स्थिति	शुद्ध वृद्धि (+)/ कमी (-)
रोकड़ शेष	(-)102.34	(-)1.19	(+) 101.15
रोकड़ शेष से निवेश (भारत सरकार के ट्रेजरी बिल)	…	…	…
उद्दिष्ट निधि के शेषों से निवेश	1,918.62	2,268.62	(+) 350.00
(अ)निक्षेप निधि	1,803.62	2,103.62	(+) 300.00
(ब)प्रत्याभूति विमोचन निधि	115.00	165.00	(+)50.00
वर्ष के दौरान वसूला गया ब्याज	23.97	37.63	(+) 13.66

विभागीय अधिकारियों जैसे सार्वजनिक कार्य विभाग के अधिकारियों, वन विभाग के अधिकारियों, जिला कलेक्टरों के पास ₹ 10.71 करोड़ (जमा) नगद शेष था एवं विभागीय अधिकारी के पास आकस्मिक खर्च के लिए स्थायी अग्रिम ₹ 0.81 करोड़ (जमा) था | 31 मार्च 2025 के अन्त तक राज्य सरकार का अन्तिम रोकड़ शेष ऋणात्मक रहा | रोकड़ शेष के निवेश पर ब्याज में वृद्धि 56.99 *प्रतिशत* के साथ वर्ष 2023-24 में ₹ 23.97 करोड़ की तुलना में वर्ष 2024-25 में ₹ 37.63 करोड़ की ब्याज प्राप्ति हुई |

6.5 लेखाओं का मिलान

व्यय पर प्रभावी नियंत्रण करने के लिए, इसे बजट अनुदान के भीतर रखने के लिए और अपने खातों की सटीकता सुनिश्चित करने के लिए, सभी नियंत्रक अधिकारियों को सरकार की प्राप्तियों और व्यय का मिलान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), उत्तराखंड द्वारा लेखाबद्ध आंकड़ों के साथ करना आवश्यक है। वर्ष 2024-25 के दौरान, राज्य सरकार द्वारा ₹ 49,491.04 करोड़ की राजस्व प्राप्तियाँ (कुल राजस्व प्राप्तियों ₹ 51,473.34 करोड़ का 96.15 प्रतिशत) और ₹ 46,823.40 करोड़ का राजस्व व्यय (कुल राजस्व व्यय ₹ 50,015.58 करोड़ का 93.62 प्रतिशत) तथा ₹ 10,403.73 करोड़ का पूंजीगत व्यय (कुल पूंजीगत व्यय ₹ 11,105.50 करोड़ का 93.68 प्रतिशत) का मिलान किया गया। राज्य सरकार द्वारा दिए गए ऋणों और अग्रिमों (₹ 691 करोड़) की कोई राशि का मिलान नहीं किया गया।

6.6 लेखा प्रेषित करने वाली इकाइयों द्वारा लेखों का प्रस्तुतीकरण

ये लेखे 1 अप्रैल 2024 से 31 मार्च 2025 तक के उत्तराखंड सरकार के लेन-देन को दर्शाते हैं। उत्तराखंड सरकार के प्राप्तियों और व्ययों के लेखों को 20 कोषागारों द्वारा प्रस्तुत प्रारंभिक लेखों तथा भारतीय रिज़र्व बैंक की सलाहों के आधार पर संकलित किया गया है। अप्रैल 2019 में आईएफएमएस के कार्यान्वयन के बाद से, 252 लेखा प्रस्तुत करने वाली इकाइयों-108 लोक निर्माण प्रभागों (87 भवन और सड़क, 21 ग्रामीण कार्य प्रभाग), 57 वन प्रभाग (46 वन और 11 जलागम), 87 सिंचाई / जल संसाधन प्रभागों के लेखों को संबंधित कोषागारों के माध्यम से भेजा जा रहा है। वर्ष के अंत में कोई भी लेखा अपवर्जित नहीं किया गया है।

6.7 असमायोजित सार आकस्मिक बिल

वित्तीय नियम (केंद्रीय कोषागार नियमों का नियम 290) परिकल्पित करते हैं कि सरकारी कोषागार से तब तक कोई धनराशि नहीं निकाली जानी चाहिए जब तक यह तत्काल संवितरण हेतु आवश्यक ना हो आकस्मिक परिस्थितियों में आहरण और | वितरण अधिकारी सार आकस्मिकता बिल के माध्यम से धनराशि निकालने हेतु अधिकृत हैं | उत्तराखण्ड वित्तीय हस्त पुस्तिका खंड-5 भाग-1, 2008 के अनुसार आहरण और वितरण अधिकारियों को अंतिम व्यय के सम्बन्ध में उद्देश्य पूर्ति के एक माह के भीतर विस्तृत प्रति हस्ताक्षरित आकस्मिक बिल देयकों के साथ प्रस्तुत करना अनिवार्य है|

वर्ष 2024-25 के दौरान निकाले गए ₹ 43.38 करोड़ की राशि के 399 एसी बिलों में से, मार्च 2025 में ₹ 24.03 करोड़ (55.39 *प्रतिशत*) की राशि के 29 एसी बिल निकाले गए। 31 मार्च 2025 तक समायोजन के लिए बकाया कुल 16 AC बिलों से संबंधित ₹ 1.20 करोड़ के DCC बिल प्राप्त नहीं हुए थे। 31 मार्च 2025 तक डीसीसी बिल जमा करने के लिए लंबित असमायोजित एसी बिलों का विवरण नीचे दिया गया है:

वर्ष	असमायोजित आकस्मिक बिलों की संख्या	धनराशि (₹ करोड़ में)
2023-24 तक	04	0.80
2024-25	12	0.40
योग	**16**	**1.20**

31 मार्च 2024 (पिछले वर्ष) के अंत में, कुल 167 एसी बिलों के संबंध में ₹ 17.92 करोड़ के डीसीसी बिल प्राप्त नहीं हुए थे।

6.8 उचन्त एवं प्रेषण शेषों की स्थिति

वित्त लेखे उचन्त और प्रेषण शीर्षों के तहत शुद्ध शेष राशि को दर्शाते हैं। इन शीर्षों के अंतर्गत बकाया शेष राशि का विभिन्न शीर्षों के अंतर्गत अलग से बकाया डेबिट और क्रेडिट शेषों को मिलाकर तैयार किया गया है| पिछले चार वर्षों के लिए मुख्य शीर्ष 8658-उचन्त लेखा, 8782-प्रेषण और 8793-अन्तर्राज्यीय उचन्त लेखा के तहत सकल डेबिट और क्रेडिट शेष के रूप में दिखाए गए महत्वपूर्ण उचन्त मदों का विवरण निम्नानुसार है:

(₹ करोड़ में)

लघु शीर्ष का नाम	2021-22		2022-23		2023-24		2024-25	
	नामे	जमा	नामे	जमा	नामे	जमा	नामे	जमा
8658-उचन्त लेखा								
101-वेतन एवं लेखा कार्यालय- उचन्त	189.51	89.35	331.63	186.12	437.39	288.84	514.30	411.77
शुद्ध	(नामे)100.16		(नामे)145.51		(नामे)148.55		(नामे)102.54	
102-**उचन्त लेखा (सिविल)**	289.18	386.82	295.03	392.38	289.06	301.28	286.88	299.80
शुद्ध	(जमा) 97.64		(जमा) 97.35		(जमा)12.22		(जमा)12.92	
107- रोकड़ समाशोधन उचन्त लेखा	99.71	0.26	1,233.79	1,133.42	2,777.12	2,664.64	4,407.61	4,284.10
शुद्ध	(नामे)99.45		(नामे)100.37		(नामे)112.48		(नामे)123.51	
110-रिज़र्व बैंक उचन्त केन्द्रीय लेखा कार्यालय	221.31	219.61	224.32	219.61	214.67	219.61	214.67	219.61
शुद्ध	(नामे)1.70		(नामे)4.71		(जमा)4.94		(जमा)4.94	

112-स्रोत पर कर कटौती उचन्त	28.03	267.44	28.03	330.23	28.03	253.28	28.03	201.71
शुद्ध	(जमा) 239.41		(जमा) 302.20		(जमा)225.25		(जमा)173.68	
113-भविष्य निधि उचन्त	24.75	24.64	24.75	24.64	24.75	24.64	24.75	24.64
शुद्ध	(नामे)0.11		(नामे)0.11		(नामे)0.11		(नामे)0.11	
117-रिज़र्व बैंक की ओर से लेन-देन	18.12	20.33	18.12	20.33	18.12	20.33	18.12	20.33
शुद्ध	(जमा)2.21		(जमा)2.21		(जमा)2.21		(जमा)2.21	
123-अ0 भा0 से0 के अधिकारियों की समूह बीमा योजना	0.34	0.61	0.36	0.64	0.40	0.67	0.45	0.70
शुद्ध	(जमा)0.27		(जमा)0.28		(जमा)0.27		(जमा)0.25	
129-सामग्री क्रय समाशोधन उचन्त लेखा	0.03	(-)0.73	0.03	(-)0.73	0.03	(-)0.73	0.03	(-)0.73
शुद्ध	(नामे)0.76		(नामे)0.76		(नामे)0.76		(नामे)0.76	
8782- एक ही लेखा अधिकारी को लेखे भेजने वाले अधिकारियों के बीच नकद प्रेषण तथा समायोजन								
102-लोक निर्माण प्रेषण	296.13	372.70	296.45	372.70	296.46	372.75	296.46	372.75
शुद्ध	(जमा)76.57		(जमा)76.25		(जमा)76.29		(जमा)76.29	
103- वन प्रेषण	107.23	166.95	107.23	166.95	107.23	166.95	107.23	166.95
शुद्ध	(जमा)59.72		(जमा)59.72		(जमा)59.72		(जमा)59.72	
8793-अन्तर्राज्यीय उचन्त लेखा	2,083.81	2,015.19	2,067.53	2,016.45	2,072.27	2,018.61	2,057.17	2,020.03
शुद्ध	(नामे)68.62		(नामे)51.08		(नामे)53.66		(नामे)37.14	

6.9 बकाया उपयोगिता प्रमाण-पत्रों की स्थिति

जहां विशिष्ट उद्देश्यों के लिए अनुदान मंजूर किए जाते हैं, संबंधित विभागीय अधिकारियों को निर्धारित अवधि के भीतर महालेखाकार को उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना चाहिए। निर्दिष्ट अवधि के बाद उपयोगिता प्रमाण-पत्र का बकाया रहना अपेक्षित उद्देश्यों के लिए अनुदान के उपयोग पर आश्वासन के अभाव को दर्शाता है। महालेखाकार (ले० एवं हक०) के दस्तावेजों के अनुसार 31 मार्च 2025 बकाया उपयोगिता प्रमाण-पत्रों का विवरण निम्न है :-

वर्ष	वांछित उपयोगिता प्रमाण-पत्रों की संख्या	धनराशि *(₹ करोड़ में)*
2023-24 तक	11	196.54
2024-25	111	1,073.18
कुल	**122**	**1,269.72***

*₹ 1,269.72 करोड़ की बकाया उपयोगिता प्रमाण पत्रों में 15वें वित्त आयोग की सिफारिशो के अनुसार शहरी स्थानीय निकायो और पंचायती राज्य संस्थाओ को जारी अनुदानो के सम्बन्ध में 81 बकाया उपयोगिता प्रमाण पत्रों से सम्बंधित ₹ 418.28 करोड़ की राशि सम्मिलित हैं |

31 मार्च 2024 (पिछले वर्ष) तक 210 बकाया उपयोगिता प्रमाण पत्रों की कुल राशि ₹ 1395.68 करोड़ है |

6.10 अपूर्ण पूँजीगत कार्यों के कारण प्रतिबद्धताएँ

राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2024-25 तक 96 अधूरी परियोजनाओं पर कुल ₹ 314.30 करोड़ का व्यय किया गया, जबकि मूल अनुमान लागत ₹ 439.45 करोड़ थी, जैसा कि वित्त लेखों के खंड II में परिशिष्ट IX में वर्णित है।

'अपूर्ण पूँजीगत कार्यों' के कारण प्रतिबद्धताओं पर एक सारांशित दृश्य नीचे प्रस्तुत किया गया है:

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	कार्यों की श्रेणी (कार्यों की संख्या)	कार्य की अनुमानित लागत	वर्ष के दौरान व्यय	वर्ष के अन्त तक प्रगामी व्यय	बकाया भुगतान	संशोधन के बाद अनुमानित लागत
1.	सड़क निर्माण कार्य (91)	325.25	56.59	213.65	96.28	3.80
2.	सेतु निर्माण (5)	114.20	23.46	100.65	13.55	1.52
	योग	439.45	80.05	314.30	109.83	5.32

6.11 राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली

01.10.2005 या उसके बाद भर्ती हुए राज्य सरकार के कर्मचारी राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एन.पी.एस.) के अंतर्गत आते हैं, जो एक परिभाषित अंशदान पेंशन योजना है। इस योजना के अनुसार, कर्मचारी को अपने मासिक वेतन का 10 *प्रतिशत* और राज्य सरकार को 14 *प्रतिशत* की दर से अंशदान करना होता है। पूरी राशि को नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड (एन.एस.डी.एल.)/ट्रस्टी बैंक के माध्यम से नामित फंड मैनेजर को हस्तांतरित करना होता है।

वर्ष 2024-25 के दौरान एन.पी.एस. में कुल योगदान ₹ 1,848.38 करोड़ था (कर्मचारियों का योगदान ₹ 755.15 करोड़, सरकार का योगदान ₹ 1,073.23 करोड़ एवं ब्याज भुगतान ₹ 20.00 करोड़) | सरकारी अंशदान की विस्तृत जानकारी मुख्य शीर्ष 2071 के अंतर्गत वित्त लेखे के विवरण संख्या 15 में उपलब्ध है। सरकार द्वारा ₹ 1,848.38 करोड़ (कर्मचारियों का योगदान ₹ 755.15 करोड़, सरकार का योगदान ₹ 1,073.23 करोड़ एवं ब्याज भुगतान ₹ 20.00 करोड़) की राशि मुख्य शीर्ष 8342-117 परिभाषित अंशदान पेंशन योजना के अंतर्गत लोक खाते में जमा की गई।

वर्ष 2024-25 के दौरान कुल ₹ 1,855.23 करोड़ की राशि एनएसडीएल को हस्तांतरित की गई| शेष ₹ 91.24 करोड़ की राशि एनएसडीएल को हस्तांतरित की जानी बाकी है। अर्जित ब्याज के साथ असंग्रहीत, बेजोड़ और अहस्तांतरित राशि, योजना के तहत सरकार की बकाया देनदारियों का प्रतिनिधित्व करती है।

6.12 व्यक्तिगत जमा खाते

व्यक्तिगत जमा खाते, नामित आहरण अधिकारियों को किसी योजना से संबंधित विशिष्ट प्रयोजनों के लिए व्यय करने में सक्षम बनाते हैं।

वर्ष 2024-25 के दौरान, ₹ (-) 0.01 करोड़ राज्य की संचित निधि से व्यक्तिगत जमा खातों में स्थानांतरित किए गए। मार्च 2025 में कोई राशि स्थानांतरित नहीं की गई।

वित्तीय पुस्तिका खंड-5 भाग-1, पैरा 340(बी)(ii) के अनुसार तथा व्यक्तिगत जमा खाता खोलने की शर्तों के अधीन, समेकित निधि से व्यक्तिगत जमा खाते में अंतरित धनराशि को वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर अथवा समापन की निर्धारित अवधि के पश्चात संबंधित लेखा शीर्षों, जिनसे धनराशि अंतरित की गई है, के अंतर्गत समेकित निधि में वापस पुस्तांकित किया जाना अपेक्षित है। पत्र संख्या 1/88670/XXVII(10)/2023-21/2015 में दिए गए निर्देशों के अनुसार वर्ष 2024-25 के दौरान सभी व्यक्तिगत जमा खाते बंद कर दिए गए हैं।

31 मार्च 2025 को व्यक्तिगत जमा खातों का विवरण निम्न प्रकार है:

(₹ करोड़ में)

1 अप्रैल 2024 को प्रारंभिक शेष		वर्ष 2024-25 के दौरान परिवर्धन		वर्ष 2024-25 के दौरान निकासी		31 मार्च 2025 को अंतिम शेष	
प्रशासकों की संख्या	धनराशि	प्रशासकों की संख्या	धनराशि	प्रशासकों की संख्या	धनराशि	प्रशासकों की संख्या	धनराशि
00	2.48(नामे)	00	0.01(नामे)	रिक्त	रिक्त	00	2.49[1] (नामे)

वित्तीय पुस्तिका खंड-5 भाग-I के परिशिष्ट 20 में कहा गया है कि प्रशासक उस योजना/परियोजनाओं का विस्तृत लेखा-जोखा रखेगा जिसके लिए इसे खोला गया है। इसके अलावा, यदि कोई पी.डी खाता 03 वर्षों की अवधि के लिए संचालित नहीं होता है और यह मानने का कारण है कि ऐसे जमा खातों की आवश्यकता समाप्त हो गई है, तो उसे बंद कर दिया जाएगा।

6.13 निवेश

राज्य सरकार ने वर्ष 2024-25 के दौरान उनके द्वारा किए गए निवेशों की जानकारी उपलब्ध/पुष्टि नहीं की है। परिणाम स्वरूप, वित्त खातों के विवरण 8 और 19 में निहित जानकारी मुख्य रूप से सरकारी निवेशों पर सीमित जानकारी पर आधारित है जो महालेखाकार (लेखा एवं हक०) द्वारा वाउचर से ली गई है | वर्ष 2024-25 के दौरान, राज्य सरकार ने सरकारी कंपनियों और वैधानिक निगमों में ₹ 413.00 करोड़ का निवेश किया। वित्तीय वर्ष 2024-25 के अंत में सरकार का कुल निवेश ₹ 4,940.50 करोड़ था। वित्त खातों में दिखाए गए निवेश के आंकड़े तथा उन संस्थाओं का रिकॉर्ड, जहां राज्य सरकार द्वारा निवेश किया गया है, मिलान के अधीन हैं।

6.14 व्यय का प्रवाह

उत्तराखण्ड बजट मैनुअल (UBM) के अध्याय XVII के अनुच्छेद 183 एवं विवेक पूर्ण वित्तीय प्रबन्धन के सिद्धांत विहित करते हैं कि वित्तीय वर्ष के समापन महीने में होने वाले व्यय से बचा जाना चाहिए। 2024-25 के दौरान कुल व्यय की तुलना में अंतिम तिमाही और मार्च 2025 के दौरान किए गए व्यय की प्रवृत्ति निम्नानुसार है:

(₹ करोड़ में)

जनवरी से मार्च 2025 के दौरान व्यय	मार्च 2025 में व्यय	कुल व्यय	निम्न के दौरान किए गए कुल व्यय का *प्रतिशत*	
			जनवरी से मार्च 2025 तक	मार्च 2025
18,642.33	11,267.68	61,121.08*	30.50	18.44

*राजस्व व्यय ₹ 50,015.58 करोड़ एवं पूँजीगत व्यय ₹ 11,105.50 करोड़ सम्मिलित है |

[1]शेषों का मिलान किया जा रहा है |

6.15 आरक्षित निधियों की स्थिति

(क) ब्याज सहित आरक्षित निधियाँ:

(अ) राज्य आपदा विमोचन निधि (SDRF):

राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष (मुख्य शीर्ष- '8121 सामान्य एवं अन्य आरक्षित निधि' के अंतर्गत जो ब्याज सहित वाले अनुभाग के अंतर्गत आता है) के गठन एवं प्रशासन के दिशा-निर्देशों के अनुसार, केंद्र एवं राज्य सरकारों को 90:10 के अनुपात में कोष में अंशदान करना अपेक्षित है। वर्ष 2024-25 के दौरान राज्य सरकार को ₹ 868.00 करोड़ रुपये केन्द्र सरकार के अंश के रूप में प्राप्त हुए। वर्ष के दौरान राज्य सरकार का हिस्सा ₹ 96.00 करोड़ रुपये है| राज्य सरकार ने ₹ 1,038.40 करोड़ (केन्द्रीय हिस्सा ₹ 868.00 करोड़, राज्य का हिस्सा ₹ 96.00 करोड़ रुपये एवं ब्याज ₹ 74.40 करोड़) मुख्य शीर्ष 8121-122 एस.डी.आर.एफ. के अंतर्गत निधि में हस्तांतरित किये।

इसके अलावा, राज्य को एन.डी.आर.एफ. के लिए केन्द्र सरकार से ₹ 21.30 करोड़ प्राप्त हुए जिसे 31 मार्च 2025 तक मुख्य शीर्ष 8121-122 एस.डी.आर.एफ. के अंतर्गत निधि में नहीं हस्तांतरित किया गया |

मुख्य लेखा शीर्ष 2245 में निधि से किए गए व्यय के रूप में ₹ 1,682.40 करोड़ रुपए की राशि सेट ऑफ की गयी तथा निधि से कोई भी धनराशि निवेश नहीं की गई। 31 मार्च 2025 तक कोष में ₹ 76.67 करोड़ रुपये अवशेष था।

(ब) राज्य आपदा न्यूनीकरण निधि: (SDMF):

आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 48 (1) I के तहत राज्य आपदा न्यूनीकरण कोष (एस.डी.एम.एफ.) का गठन किया जाना है। यह कोष विशेष रूप से राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष (एस.डी.आर.एफ.) / राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष (एन.डी.आर.एफ.) के दिशानिर्देशों और राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित राज्य विशिष्ट स्थानीय आपदा के अंतर्गत आने वाली आपदा के संबंध में शमन परियोजना के उद्देश्य से है। राज्य सरकार ने मुख्य शीर्ष 8121-130- राज्य आपदा न्यूनीकरण कोष के अंतर्गत अधिसूचना संख्या 710/XVIII (2)/08-3(15)2007 दिनांक 05.05.2008 के तहत एस.डी.एम.एफ. का गठन किया है।

केंद्र और राज्य सरकारों को 90:10 के अनुपात में इस कोष में योगदान देना आवश्यक है। वर्ष 2024-25 के दौरान, राज्य सरकार को ₹ 217.00 करोड़ रुपये केन्द्र सरकार के हिस्से के रूप में प्राप्त हुए है। वर्ष के दौरान राज्य सरकार का हिस्सा ₹ 24.00 करोड़ रुपये है। राज्य सरकार ने निधि में मुख्य लेखा शीर्ष 8121-130 एस.डी.एम.एफ. के अंतर्गत ₹ 450.90 करोड़ (केन्द्रीय हिस्सा ₹ 217.00 करोड़, राज्य का हिस्सा ₹ 24.00 करोड़, ब्याज ₹ 1.70 करोड़, एवं ₹ 208.20 करोड़ पिछले वर्षों के हस्तांतरण) हस्तांतरित किये।

मुख्य शीर्ष 2245 में निधि से किए गए व्यय के रूप में ₹ 470.60 करोड़ रुपए की राशि सेट ऑफ की गयी तथा निधि से कोई राशि निवेश नहीं की गई। 31 मार्च 2025 को इस कोष में ₹ 1.78 करोड़ रुपये अवशेष था।

(स) राज्य प्रतिपूरक वन रोपण निधि :

पर्यावरण मंत्रालय, वन एवं जलवायु परिवर्तन, भारत सरकार द्वारा जारी निर्देशों के अनुपालन में राज्य सरकारों को प्रतिपूरक वनरोपण करने के लिए उपयोगकर्ता एजेंसियों से प्राप्त राशि के लिए राज्य के लोक लेखों में ब्याज वाले अनुभाग के अंतर्गत राज्य प्रतिपूरक वनरोपण निधि (एस.सी.ए.एफ.) की स्थापना करना आवश्यक है।

वर्ष 2024-25 के दौरान, राज्य सरकार ने राज्य प्रतिपूरक वनीकरण निधि में मुख्य शीर्ष '8121-सामान्य और अन्य आरक्षित निधि' के अंतर्गत ₹ 730.77 करोड़ (₹ 226.76 करोड़ ब्याज, ₹ 0.62 करोड़ बैलेंस ट्रांसफर और राष्ट्रीय प्रतिपूरक वनरोपण निधि से ₹ 503.39[2] करोड़ की कुल प्राप्ति) (*पिछले वर्ष ₹ 213.01 करोड़*) की धनराशि लेखांकित की है। सरकार को राष्ट्रीय प्रतिपूरक वनीकरण जमा से ₹ 503.39 करोड़ (*पिछले वर्ष कोई राशि प्राप्त नहीं हुई*) प्राप्त हुए हैं। सरकार ने निधि से ₹ 850.70 करोड़ का व्यय किया और वर्ष के दौरान कोई राशि निवेश नहीं की। 31 मार्च 2025 तक राज्य प्रतिपूरक वनीकरण निधि में कुल शेष राशि ₹ 2,875.27 करोड़ थी।

राज्य सरकार ने भारत सरकार द्वारा 20 नवंबर 2018 को जारी लेखांकन दिशानिर्देशों का पालन नहीं किया है। भारत सरकार के दिशानिर्देशों के नियम 2 (6) के अनुसार, राज्य सरकारों द्वारा उपयोगकर्ता एजेंसियों से प्राप्त धनराशि को मुख्य लेखा शीर्ष **8336 सिविल जमा** के अंतर्गत लघु शीर्ष स्तर पर राज्य के लोक लेखों में ब्याज वाले अनुभाग के अंतर्गत 'राज्य प्रतिपूरक वनीकरण जमा' में जमा किया जाना है। निधि का 90 प्रतिशत भाग राज्य के लोक खाते में मुख्य लेखा शीर्ष **8121 सामान्य और अन्य आरक्षित निधि** में स्थानांतरित किया जाना है और शेष 10 प्रतिशत वार्षिक आधार पर राष्ट्रीय निधि में जमा किया जाना है, बशर्ते निधि के 10 प्रतिशत केंद्रीय हिस्से का क्रेडिट मासिक आधार पर सुनिश्चित किया जाना चाहिए ताकि इसे राष्ट्रीय निधि में स्थानांतरित किया जा सके। उत्तराखंड राज्य सरकार ने अभी तक मुख्य शीर्ष **8336-सिविल जमा** के अंतर्गत 'राज्य प्रतिपूरक वनीकरण जमा' नहीं खोला है |

(ख) ब्याज रहित आरक्षित निधियाँ:

(अ) समेकित ऋण शोधन निधि:

उत्तराखंड सरकार ने वर्ष 2006 में ऋणों के परिशोधन के लिए समेकित ऋण शोधन निधि की स्थापना की थी। निधि के दिशा-निर्देशों के अनुसार, राज्य पिछले वर्ष के अंत में अपनी बकाया देनदारियों का न्यूनतम 0.5 प्रतिशत समेकित ऋण शोधन निधि में योगदान कर सकते हैं। वर्ष 2024-25 में, सरकार ने ₹ 300 करोड़ का योगदान किया। 31 मार्च 2025 को इस कोष में ₹ 2,178 करोड़ अवशेष था (31 मार्च 2024 तक ₹ 1,878 करोड़) |

[2]इसमें MH 1601-06-900 से किए गए ₹ 312.13 करोड़ के समायोजन की रकम शामिल है, जो पिछले साल 2023-24 से संबंधित है।

आर.बी.आई. की सिफारिश के अनुसार निधि की कुल धनराशि कुल बकाया देनदारियों का कम से कम 5 प्रतिशत होनी चाहिए। वर्तमान में, निधि की कुल धनराशि 5,371.75 करोड़ है (आरबीआई के अनुसार, योगदान और ब्याज सहित), जो 31 मार्च 2025 तक 90,657.16[3] करोड़ की बकाया देनदारियों का 5.93 प्रतिशत है।

(ब) प्रत्याभूति मोचन निधि :

राज्य सरकार ने आरबीआई द्वारा प्रशासित किए जाने के लिए प्रत्याभूति मोचन निधि का गठन किया। राज्य सरकार द्वारा जारी निधि अधिसूचना में नवीनतम संशोधन, जो वर्ष 2016 से प्रभावी है, यह निर्धारित करता है कि राज्य सरकार आरम्भ में ₹ 10.00 करोड़ राशि का योगदान करेगी और उसके बाद बकाया आहूत प्रत्याभूतियों और वर्ष के दौरान जारी की गई वृद्धिशील प्रत्याभूतियों के परिणामस्वरूप संभावित उनामोचित प्रत्याभूतियों की राशि का न्यूनतम 1/5 भाग योगदान करेगी | निधि को धीरे-धीरे एक ऐसे वांछनीय स्तर तक बढ़ाया जाएगा जिसे अगले 5 वर्षों में बकाया प्रत्याभूतियों के संभावित आह्वान से सरकार पर अवक्रमित प्रत्याशित प्रत्याभूतियों की राशि को पूरा करने के लिए पर्याप्त माना जा सके। वर्ष के दौरान, सरकार ने ₹ 50.00 करोड़ का योगदान दिया। 31 मार्च 2025 को इस कोष में ₹168.59 करोड़ रुपये अवशेष था। (31 मार्च 2024 तक ₹ 118.59 करोड़ रुपये)

आर.बी.आई. की सिफारिश के अनुसार फंड की कुल राशि बकाया गारंटी का कम से कम 5 प्रतिशत होनी चाहिए। निधि में कुल राशि ₹ 261.91 करोड़ है (आरबीआई के अनुसार, योगदान और ब्याज सहित), जो 31 मार्च 2025 तक बकाया गारंटी 105.85 करोड़ का 247.44 प्रतिशत है।

(स) केन्द्रीय सड़क एवं अवसंरचना निधि (सी आर आई एफ): भारत सरकार के 31-03-2018 के राजपत्र अधिसूचना के अनुसार पूर्ववर्ती केंद्रीय सड़क निधि (सी.आर.एफ.) का नाम बदलकर केंद्रीय सड़क एवं अवसंरचना निधि (सी.आर.आई.एफ.) कर दिया गया है। सी.आर.आई.एफ. का उपयोग राष्ट्रीय राजमार्गों, रेलवे परियोजनाओं के विकास एवं रखरखाव, रेलवे में सुरक्षा में सुधार, राज्य एवं ग्रामीण सड़कों तथा अन्य अवसंरचना आदि के लिए किया जाएगा। वर्तमान लेखा प्रक्रिया के अनुसार, केंद्र से राज्य द्वारा प्राप्त अनुदानों को प्रारंभ में मुख्य शीर्ष 1601 के अंतर्गत राजस्व प्राप्तियों के रूप में दर्ज किया जाना है। इसके बाद, प्राप्त राशि को राज्य सरकार द्वारा कार्यात्मक मुख्य लेखाशीर्ष (शीर्षों) के माध्यम से मुख्य लेखाशीर्ष 8449-103-केंद्रीय सड़क और अवसंरचना निधि से अनुदान के अंतर्गत लोक खाते में स्थानांतरित किया जाना है।

वर्ष 2024-25 के दौरान, राज्य सरकार को सी.आर.आई.एफ. के लिए ₹ 55.07 करोड़ का अनुदान प्राप्त हुआ। राज्य सरकार ने लोक लेखो के अंतर्गत निधि में ₹ 55.07 करोड़ रूपये हस्तांतरित किये। कुल 55.07 करोड़ रुपये की हस्तांतरित राशि को मुख्य शीर्ष 5054-04-902 में निधि से किए गए व्यय के रूप में दर्ज किया गया।

[3]इसमें मुख्यालय के निर्देशानुसार ₹ 4,008.88 करोड़ की बैक टू बैक ऋण राशि सम्मिलित नहीं है |

6.16 प्रमुख उपकर

वर्ष 2024-25 के दौरान, सरकार ने उपकर (हरित ऊर्जा उपकर) के संग्रह के रूप में ₹ 104.11 करोड़ एकत्रित किया [*(2023-24 : ₹ 103.41 करोड़)*]। मुख्य लेखाशीर्ष-0801-विद्युत, 01-जल विद्युत उत्पादन, 800-अन्य प्राप्तियों के अंतर्गत सरकार की राजस्व प्राप्तियों के रूप में ₹ 120.00 करोड़ रुपये लेखांकित किए गए हैं। उत्तराखंड हरित ऊर्जा उपकर अधिनियम 2014 की धारा 6 और 7 (1) के अनुसार, राज्य सरकार को 'हरित ऊर्जा निधि' नामक एक निधि स्थापित करने की आवश्यकता है और उपकर की आय को राज्य की समेकित निधि से इस निधि में स्थानांतरित किया जाना है। 31 मार्च 2025 तक राज्य सरकार द्वारा ऐसी कोई निधि स्थापित नहीं की गई है।

प्रारंभिक शेष ₹ 129.68 करोड़ था और वर्ष के दौरान कुल संग्रह ₹ 104.11 करोड़ [*(2023-24 : ₹ 103.41 करोड़)*] था, इसमें से ₹ 120.00 करोड़ *(2023-24: ₹ 80.00 करोड़)* को राजस्व प्राप्ति के रूप में दर्ज किया गया और राज्य सरकार द्वारा निर्दिष्ट निधि में स्थानांतरित नहीं किया गया और संग्रहकर्ता (यूपीसीएल) के पास ₹ 113.79 करोड़ की राशि शेष रही । उपकर के ₹ 120.00 करोड़ के हस्तांतरण न किये जाने के परिणामस्वरूप उस सीमा तक राजस्व व्यय को कम दर्शाया गया है।

इसके अलावा, राज्य सरकार ने भूमि उपकर और जल उपकर जैसे अन्य उपकरों के बारे में कोई जानकारी उपलब्ध नहीं करायी गयी है, हालांकि वर्ष 2024-25 के दौरान 'मुख्य शीर्ष 0029-103-भूमि पर दरें और उपकर'; और 'मुख्य शीर्ष 0045-110-जल (प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण) उपकर अधिनियम के तहत प्राप्तियां' के तहत पुस्तांकित है।

© भारत के नियंत्रक
एवं महालेखापरीक्षक
www.cag.gov.in

https://cag.gov.in/ae/uttarakhand/hi